



National Intellectual Property Rights Policy

रचनात्मक भारत; अभिनव भारत
Creative India; Innovative India





National Intellectual Property Rights Policy

12th May 2016

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Industrial Policy & Promotion



Minister of State (Independent Charge)
Commerce & Industry
India

MESSAGE

The National Intellectual Property Rights (IPR) Policy, recently approved by the Union Cabinet, is a giant leap by the Government of India to spur creativity and stimulate innovation. The document lays the roadmap for the future of IPRs in India.

In the 21st century, a nation's progress is catalyzed through its knowledge economy, which is driven by the creative capabilities and leverage of its innovation. The policy reinforces the strengths of IPRs to acquire both economic and social benefits on a bigger and higher scale for India. A vibrant Intellectual Property (IP) ecosystem will not only enhance the economic development of India, but also promote public welfare by protecting the rights of all its citizens. The policy will also reinforce the IPR related service-delivery mechanism of the Government, besides encompassing research and development organisations, educational institutions, corporations, MSMEs, start-ups and other stakeholders in the creation of an innovation-conducive ambience.

The Department had set up an IPR Think Tank to prepare the Policy, and it has gone about its task very painstakingly and with full diligence. I take this opportunity to compliment all the members on the Think Tank.

Best wishes to the Department of Industrial Policy and Promotion and all other departments in smooth execution of the policy, which will definitely assure both domestic and foreign investors of the existence of a stable IPR regime in the country.

It's been a privilege to have been associated with the National IPR Policy right from the conceptualization stage, and it is expected that this will unlock the full potential of Intellectual Property towards India's economic growth and socio-cultural development.

(Nirmala Sitharaman)



Secretary

Department of Industrial Policy & Promotion
Ministry of Commerce & Industry
Government of India

MESSAGE

The National Intellectual Property Rights (IPR) Policy of India is set to establish an ecosystem in the country conducive to innovation and creativity not only in terms of IP awareness and creation, but also commercialization and enforcement.

The National Intellectual Property Rights Policy seeks to reinforce the IPR framework in the country that will create public awareness about economic, social and cultural benefits of IPRs among all sections of the society, stimulate IPR generation and commercialization, modernize and strengthen service-oriented IPR administration as also the enforcement and adjudicatory mechanisms for combating IPR infringements.

The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) has been nominated as the nodal department for nurturing Intellectual Property Rights in the country, an onerous responsibility that we accept with humility and shall endeavour to do our best to fulfil. To this end, a professionally-run Cell for IPR Promotion and Management (CIPAM) shall be set up under the aegis of the DIPP to facilitate promotion, creation and commercialization of IP assets.

This all-encompassing IPR Policy will protect public interest while simultaneously promoting an environment that allows India's Intellectual Property ecosystem to develop to its full potential. A strong Intellectual Property Rights structure will play a big role in attracting investment into India along with boosting the local business ecosystem.

I invite participation from all stakeholders to build a supportive and balanced Intellectual Property Rights system in India. Let us work together towards a creative and innovative India.

(Ramesh Abhishek)

Contents

EXECUTIVE SUMMARY.....	1
INTRODUCTION.....	3
OVERVIEW.....	3
VISION STATEMENT.....	4
MISSION STATEMENT.....	4
OBJECTIVES.....	5
OBJECTIVE 1: IPR Awareness: Outreach and Promotion.....	5
OBJECTIVE 2: Generation of IPRs.....	7
OBJECTIVE 3: Legal and Legislative Framework.....	9
OBJECTIVE 4: Administration and Management.....	11
OBJECTIVE 5: Commercialization of IPRs.....	14
OBJECTIVE 6: Enforcement and Adjudication.....	16
OBJECTIVE 7: Human Capital Development.....	18
IMPLEMENTATION.....	19

EXECUTIVE SUMMARY

Creativity and innovation have been a constant in growth and development of any knowledge economy. There is an abundance of creative and innovative energies flowing in India. India has a TRIPS compliant, robust, equitable and dynamic IPR regime. An all-encompassing IPR Policy will promote a holistic and conducive ecosystem to catalyse the full potential of intellectual property for India's economic growth and socio-cultural development, while protecting public interest. The rationale for the National IPR Policy lies in the need to create awareness about the importance of IPRs as a marketable financial asset and economic tool.

Vision Statement

An India where creativity and innovation are stimulated by Intellectual Property for the benefit of all; an India where intellectual property promotes advancement in science and technology, arts and culture, traditional knowledge and biodiversity resources; an India where knowledge is the main driver of development, and knowledge owned is transformed into knowledge shared.

Mission Statement

Stimulate a dynamic, vibrant and balanced intellectual property rights system in India to:

- foster creativity and innovation and thereby, promote entrepreneurship and enhance socio-economic and cultural development, and
- focus on enhancing access to healthcare, food security and environmental protection, among other sectors of vital social, economic and technological importance.

The Policy lays down seven objectives which are elaborated with steps to be undertaken by the identified nodal Ministry/ Department. The objectives are briefly mentioned below.

Objective 1

IPR Awareness: Outreach and Promotion - *To create public awareness about the economic, social and cultural benefits of IPRs among all sections of society*

The 21st century belongs to the knowledge era and is driven by the knowledge economy. A nation-wide program of promotion should be launched with an aim to improve the awareness about the benefits of IPRs and their value to the rights-holders and the public. Such a program will build an atmosphere where creativity and innovation are encouraged in public and private sectors, R&D centers, industry and academia, leading to generation of protectable IP that can be commercialized. It is also necessary to reach out to the less-visible IP generators and holders, especially in rural and remote areas. The clarion call of the program would be the holistic slogan

**“Creative India; Innovative India:
रचनात्मक भारत; अभिनव भारत”**

Objective 2

Generation of IPRs - *To stimulate the generation of IPRs*

India has a large talent pool of scientific and technological talent spread over R&D institutions, enterprises, universities and technical institutes. There is a need to tap this fertile knowledge resource and stimulate the creation of IP assets. A comprehensive base line survey or IP audit across sectors will enable assessment and evaluation of the potential in specific sectors, and thus formulate and implement targeted programmes. Focus will be placed on facilitating researchers and innovators regarding areas of national priority. The corporate sector also needs to be encouraged to generate and utilize IPRs. Steps also need to be taken to devise mechanisms so that benefits of the IPR regime reach all inventors, especially MSMEs, start-ups and grassroots innovators.

Objective 3

Legal and Legislative Framework - *To have strong and effective IPR laws, which balance the interests of rights owners with larger public interest*

The existing IP laws in India were either enacted or revised after the TRIPS Agreement and are fully compliant with it. These laws along with various judicial decisions provide a stable and effective legal framework for protection and promotion of IPRs. India shall remain committed to the Doha

Declaration on TRIPS Agreement and Public Health. At the same time, India is rich in traditional medicinal knowledge which exists in diverse forms in our country, and it is important to protect it from misappropriation.

Objective 4

Administration and Management - *To modernize and strengthen service oriented IPR administration*

The Offices that administer the different Intellectual Property Rights (IPOs) are the cornerstone of an efficient and balanced IPR system. IPOs now have the twin challenges of making their operations more efficient, streamlined and cost effective, with expanding work load and technological complexity on one hand, and enhancing their user-friendliness by developing and providing value added services to the user community on the other. The administration of the Copyright Act, 1957 and the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 is being brought under the aegis of DIPP, besides constituting a Cell for IPR Promotion and Management (CIPAM). This will facilitate more effective and synergetic working between various IP offices, as also promotion, creation and commercialization of IP assets.

Objective 5

Commercialization of IPR - *Get value for IPRs through commercialization*

The value and economic reward for the owners of IP rights comes only from their commercialization. Entrepreneurship should be encouraged so that the financial value of IPRs is captured. It is necessary to connect investors and IP creators. Another constraint faced is valuation of IP and assessment of the potential of the IPRs for the purpose of marketing it. Efforts should be made for creation of a public platform to connect creators and innovators to potential users, buyers and funding institutions.

Objective 6

Enforcement and Adjudication - *To strengthen the enforcement and adjudicatory mechanisms for combating IPR infringements*

There is a need to build respect for IPR among the general public and to sensitize the inventors

and creators of IP on measures for protection and enforcement of their rights. At the same time, there is also a need to build the capacity of the enforcement agencies at various levels, including strengthening of IPR cells in State police forces. Measures to check counterfeiting and piracy also need to be identified and undertaken. Regular IPR workshops/ colloquia for judges would facilitate effective adjudication of IPR disputes. It would be desirable to adjudicate on IPR disputes through specialised commercial courts. Alternative Dispute Resolution mechanism may also be explored.

Objective 7

Human Capital Development - *To strengthen and expand human resources, institutions and capacities for teaching, training, research and skill building in IPRs*

In order to harness the full potential of IPRs for economic growth, it is essential to develop an increasing pool of IPR professionals and experts in spheres such as policy and law, strategy development, administration and enforcement. Such a reservoir of experts will facilitate in increasing generation of IP assets in the country and their utilization for development purposes.

Implementation

The present IP Policy aims to integrate IP as a policy and strategic tool in national development plans. It foresees a coordinated and integrated development of IP system in India and the need for a holistic approach to be taken on IP legal, administrative, institutional and enforcement related matters. While DIPP shall be the nodal point to coordinate, guide and oversee implementation and future development of IPRs in India, the responsibility for actual implementation of the plans of action will remain with the Ministries/ Departments concerned in their assigned sphere of work. Public and private sector institutions and other stakeholders, including State governments, will also be involved in the implementation process.

INTRODUCTION

Creativity and innovation have been a constant in growth and development of any knowledge economy. There is an abundance of creative and innovative energies flowing in India. The evolution of the film and music industry; the contribution of the Indian pharmaceutical sector in enabling access to affordable medicines globally and its transformation to being the pharmacy of the world; a strong and dynamic software industry; a considerably diverse handicraft and textile industry; richness and versatility of the Indian systems of medicines such as Ayurveda, Unani, Siddha and Yoga; the advances made in the Indian space programme and the pioneering role of our scientists in keeping it cost effective; these are but a few examples of these energies.

While India has always been an innovative society, much of the intellectual property (IP) created remains unprotected both on account of lack of awareness and the perception that IP protection is either not required or that the process to obtain it is unnecessarily complicated. The rationale for the National IPR Policy lies in the need to create awareness about the importance of intellectual property rights (IPRs) as a marketable financial asset and economic tool.

India has robust IP laws and a strong IP jurisprudence. The legal framework does reflect the underlying policy orientation and national priorities, which have evolved over time, taking into account development needs and international commitments.

An all-encompassing IPR Policy will promote a holistic and conducive ecosystem to catalyse the full potential of intellectual property for India's economic growth and socio-cultural development, while protecting public interest. Such a policy will nurture the IP culture, guiding and enabling all creators and inventors to realize their potential for generating, protecting and utilizing IPRs which would contribute to wealth creation, employment opportunities and business development.

This policy shall weave in the strengths of the Government, research and development organizations, educational institutions, corporate

entities including MSMEs, start-ups and other stakeholders in the creation of an innovation-conducive environment. It will complement the strengths of our substantive laws with transparent, predictable and efficient administrative and procedural mechanisms as also well-informed adjudicatory structure.

OVERVIEW

The concrete measures taken by the Government in the last two decades in consonance with national development priorities and in conformity with international treaties, conventions and agreements to which India is a party has created and established a TRIPS compliant, robust, equitable and dynamic IPR regime. The continuous and unending improvements alongwith the sweeping and far-sighted changes at the legislative and administrative levels has resulted in strengthening the administration, management and enforcement of IPRs.

The statutes governing different kinds of IPRs in India are Patents Act, 1970; Trade Marks Act, 1999; Designs Act, 2000; Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999; Copyright Act, 1957; Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001; Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 and Biological Diversity Act, 2002.

The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) is entrusted with matters concerning the specialised UN agency on IPRs, the World Intellectual Property Organisation (WIPO), including coordination with other concerned Ministries or Departments.

The Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (CGPDTM) under the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry is entrusted with the responsibility of administering the laws relating to Patents, Designs, Trade Marks and Geographical Indications within the territory of India. The CGPDTM presently functions through Patent Offices at four locations (Chennai, Delhi, Kolkata, and Mumbai), Trademarks Offices at five locations (Ahmedabad, Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai), a Geographical Indications Registry at Chennai and a Designs Wing at Kolkata. The

Office of CGPDTM is also in charge of the Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management at Nagpur.

Copyrights were administered by the Ministry of Human Resource Development. The Copyright Act is comprehensive and with the recent amendments, the rights of creators have been strengthened.

The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 is a *sui generis* legislation in India providing protection for plant varieties and rights of farmers and is under the aegis of the Ministry of Agriculture.

The Department of Information Technology was responsible for Semiconductor Integrated Circuits Layout-designs; the first registration under the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act was granted in October 2014.

The preservation of biological diversity in India is under the Ministry of Environment and Forests; the Biological Diversity Act 2002 provides mechanism for regulating access and ensuring fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources and associated traditional knowledge.

India has always been conscious of its obligations in the international arena, and has acceded to a number

of international conventions to further the cause of IPRs globally. India was the first country to ratify the Marrakesh Treaty 2013 for Access to Published Works by visually impaired persons. The accession to the Madrid Protocol in 2013 is a step towards global alignment for proprietors of marks. The Indian Patent Office has been recognized as an International Search Authority and an International Preliminary Examination Authority.

The IPR regime in India has adequate safeguards in the form of judicial review and appellate provisions. Indian courts have consistently enforced IPRs, with judgements clearly expressing the intent and purpose of our laws. The Intellectual Property Appellate Board hears appeals arising from the decisions of Controllers of Patents as also Registrars of Trade Marks and GIs.

In a slew of initiatives, the IP offices under the CGPDTM have been modernized and there is a perceptible change for the better. Conscious efforts have been made to develop a robust e-service delivery system, including real-time public dissemination of dynamic IP knowledge through e-enabled innovative tools.

VISION STATEMENT

An India where creativity and innovation are stimulated by Intellectual Property for the benefit of all; an India where intellectual property promotes advancement in science and technology, arts and culture, traditional knowledge and biodiversity resources; an India where knowledge is the main driver of development, and knowledge owned is transformed into knowledge shared.

MISSION STATEMENT

Stimulate a dynamic, vibrant and balanced intellectual property rights system in India to:

- foster creativity and innovation and thereby, promote entrepreneurship and enhance socio-economic and cultural development, and
- focus on enhancing access to healthcare, food security and environmental protection, among other sectors of vital social, economic and technological importance.

OBJECTIVES

The Policy lays down seven objectives which are elaborated with steps to be undertaken by the identified nodal Ministry/Department. The implementing or Nodal Ministry/Department shall coordinate with all other concerned stakeholders, including other Ministries/ Departments, towards attaining the objectives.

OBJECTIVE 1 IPR Awareness: Outreach and Promotion

To create public awareness about the economic, social and cultural benefits of IPRs among all sections of society

The 21st century belongs to the knowledge era and is driven by the knowledge economy- an economy that creates, disseminates and uses knowledge to enhance its growth and development. Traditionally, monetization of knowledge has never been the norm in India. While laudable and altruistic, this does not fit with the global regime of zealously protected IPRs. Hence, there is a need to propagate the value of transforming knowledge into IP assets. This requires a major paradigm shift of how knowledge is viewed and valued - not for what it is, but for what it can become.

Many IP holders are unaware of the benefits of IP rights or of their own capabilities to create IP assets or the value of their ideas. They are often discouraged by the complexities of the process of creating defensible IP rights. Conversely, they may be unaware of the value of others' IP rights and the need to respect the same. The policy proposes to tackle both perspectives through outreach and promotion programs.

A nation-wide program of promotion should be launched with an aim to improve the awareness about the benefits of IPRs and their value to the rights-holders and the public. Such a program will build an atmosphere where creativity and innovation are encouraged in public and private sectors, R&D centers, industry and academia, leading to generation of protectable IP that can be commercialized.

It is also necessary to reach out to the less-visible IP generators and holders, especially in rural and remote areas. Emphasis would be laid on creating awareness regarding the rich heritage of India in terms of our Geographical Indications, Traditional Knowledge, Genetic Resources, Traditional Cultural Expressions and Folklore.

The immediate economic rationale for individuals and the community, as well as the pride in being innovative, should be conveyed effectively to the public. The clarion call of the program would be the holistic slogan

**“Creative India; Innovative India:
रचनात्मक भारत; अभिनव भारत”**

The steps to be taken towards attaining this objective are outlined below:

- 1.1. Adopt the national slogan “Creative India; Innovative India” and launch an associated campaign on electronic, print and social media, including by linking the campaign with other national initiatives such as “Make in India”, “Digital India”, “Skill India”, “Start Up India”, “Smart Cities” and other new initiatives in the future.
- 1.2. Create a systematic campaign for promotion of India's IP strengths by conveying to all stakeholders the value and benefits of IP by:
 - 1.2.1. Customizing programs for specific needs of industries, MSMEs, start-ups, R&D institutions, science and technology institutes, universities and colleges, inventors and creators, entrepreneurs;
 - 1.2.2. Reaching out to the less visible and silent IP generators and holders, especially in the rural and remote areas, through campaigns tailored to their needs and concerns. These would include small businesses, farmers/ plant variety users, holders of traditional knowledge, traditional cultural expressions and folklore, designers and artisans;

- 1.2.3. Including case studies of successful use of IPRs in campaigns to create value in the respective domains;
- 1.2.4. Promoting the idea of high quality and cost-effective innovation as a particularly Indian competence leading to competitive advantage;
- 1.2.5. Involving eminent personalities as 'ambassadors' to spread awareness and importance of IP in India;
- 1.2.6. Using audio/ visual material in print/ electronic/ social media for propagation;
- 1.2.7. Creating moving exhibits (e.g. a train with a theme that will criss-cross the nation, road shows) that can travel to all parts of the country;
- 1.2.8. Creating materials for IP promotion in multiple languages and pictorial form for those who cannot read;
- 1.2.9. Studying best practices and success stories in other countries to design and launch public outreach programs.
- 1.3.** Create awareness programs specifically targeting industry and R&D entities, both private and public by:
 - 1.3.1. Providing scientists/ researchers with a deeper level of understanding about the need to protect their inventions even before publishing;
 - 1.3.2. Engaging public funded research organizations and the private sector to create campaigns highlighting the process of IP creation and the value generated therefrom;
 - 1.3.3. Encourage multi-national corporations and other large corporate entities to develop IP programs for their employees and adapt and propagate them to the public;
 - 1.3.4. Creating materials for MSMEs highlighting special support mechanisms for them to develop and protect IP.
- 1.4.** Create well-publicized events and ongoing programs to emphasize the importance of IP by:
 - 1.4.1. Partnering with industry bodies, large corporations and institutions of R&D and higher learning for such events, and consider establishment of Innovation, Creativity and IP museum(s);
 - 1.4.2. Announcing with the help of State governments, Innovation and IP Days especially in major industrial, innovation and university clusters; celebrate 'World IP Day' in different cities and institutions;
 - 1.4.3. Setting up India's 'Hall of Fame' to celebrate IP innovators and creators;
 - 1.4.4. Instituting prizes and awards to encourage IP creation activity in specific sectors.
- 1.5.** Create suitable course materials for:
 - 1.5.1. Educational institutions at all levels to emphasize the importance of IP rights;
 - 1.5.2. Online and distance learning programs for all categories of users;
 - 1.5.3. Including IPRs in school curriculum at appropriate level.
- 1.6.** Engage with the media to sensitize them regarding IP related issues.

OBJECTIVE 2

Generation of IPRs

To stimulate the generation of IPRs

The profile of IP filings and registrations/grants is one of the parameters, though not the only one, to assess the current status and potential of IP creation in a country. In India, the number of patent filings has increased in the last few years, but the percentage of filings by Indians is relatively low. In the case of trademarks, India is among the top five filers in the world, with the majority being filed by Indians. The number of design applications filed is nowhere near India's potential, given its vast pool of designers, artisans and artists. India has a large talent pool of scientific and technological talent spread over R&D institutions, enterprises, universities and technical institutes. There is a need to tap this fertile knowledge resource and stimulate the creation of IP assets.

GIs is an area of strength and optimism for India, where it has accorded protection to a number of hand-made and manufactured products, especially in the informal sector. The copyright based sector contributes significantly to the Indian economy and its future potential is immense. In the area of plant varieties and farmers' rights, the number of filings and registrations are very encouraging. There is considerable unexplored potential for developing, promoting and utilizing traditional knowledge, which is a unique endowment of India. Activities for promotion of traditional knowledge have to be conducted with effective participation of holders of such knowledge.

A comprehensive base line survey or IP audit across sectors will enable assessment and evaluation of the potential in specific sectors, and thus formulate and implement targeted programmes to tap this vast potential and help develop new technologies, products and solutions. This would include strengthening and spread of IPR facilitation centres and incubators, amongst other measures. Focus will be placed on facilitating researchers and innovators regarding areas of national priority. The corporate sector also needs to be encouraged to generate and utilize IPRs. It is also desirable to introduce

IPRs as part of academic curriculum in educational institutions, especially universities, law and technical institutions.

Steps also need to be taken to devise mechanisms so that benefits of the IPR regime reach all inventors, especially MSMEs, start-ups and grassroots innovators. Incentives may be built-in to encourage filing by such targeted users. These may include schemes to facilitate domestic IPR filings, for the entire value chain from IPR generation to commercialization. R&D needs to be promoted through tax benefits available under various laws, through simplification of procedures for availing direct and indirect tax benefits.

The ambit of Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) should also be expanded, while the possibility of using it for further R&D shall be explored.

The steps to be taken towards attaining this objective are outlined below:

- 2.1.** Use the campaign "Creative India; Innovative India" to propagate the value of creativity and innovation, and the resultant benefit to the public; to create a mindset and culture that encourages knowledge generation and its application through IP.
- 2.2.** Carry out a comprehensive IP audit or base line survey in various sectors in cooperation with stakeholders to assess and evaluate areas of strength and potential, prioritize target groups of inventors and creators, develop specific programs to address their needs, provide resources to enable them to create IP assets and utilize them for their own and social benefit.
- 2.3.** Undertake studies to assess the contribution of IP content in different industries on the economy, employment, exports and technology transfer.
- 2.4.** Focus on improving IPR output of national research laboratories, universities, technology institutions and other

- researchers by encouraging and facilitating the acquisition of Intellectual Property Rights by them.
- 2.5.** Encourage researchers in public funded academic and R&D institutions in IPR creation by linking it with research funding & career progression.
 - 2.6.** Encourage researchers in public funded academic and R&D institutions by having uniform guidelines for division of royalties between the organizations and individual researchers and innovators.
 - 2.7.** Include IP creation as a key performance metric for public funded R&D entities as well as Technology Institutions, and gradually extend such evaluation from Tier-1 to Tier-2 Institutions.
 - 2.8.** Provide guidance to researchers and innovators about national priority areas to focus on, for instance in energy and food security, healthcare and agriculture, as well as specific sectors such as biotechnology, data analytics, nanotechnology, new materials and ICT.
 - 2.9.** Encourage public funded R&D institutes and industry to develop affordable drugs relating to neglected diseases.
 - 2.10.** Encourage R&D including open source based research such as Open Source Drug Discovery (OSDD) by the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) for new inventions for prevention, diagnosis and treatment of diseases, especially those that are life threatening and those that have high incidence in India.
 - 2.11.** Establish and strengthen IP facilitation centers as nodal points especially in industrial and innovation university clusters.
 - 2.12.** Create an industry-academia interface for encouraging cross-fertilization of ideas and IPR-driven research and innovation in jointly identified areas.
 - 2.13.** Stimulate large corporations, both Indian and foreign, that have R&D operations, to create, protect and utilize IPRs in India.
 - 2.14.** Improve awareness of the value of copyright for creators, the importance of their economic and moral rights.
 - 2.15.** Introduce support systems for MSMEs, start-ups and grass root innovators to reduce transaction costs linked to IP creation for the entire value chain from IPR generation to commercialization, including schemes to facilitate domestic IPR filings.
 - 2.16.** Consider incentives to promote R&D, including the following steps:
 - 2.16.1.** Promote R&D through tax benefits available under various laws, through simplification of procedures for availing direct and indirect tax benefits;
 - 2.16.2.** Consider financial support for a limited period on sale and export of products based on IPRs generated from public funded research;
 - 2.16.3.** Creation of an effective and simple loan guarantee scheme in order to encourage start-ups and cover the risk of genuine failures in commercialization based on IPRs as mortgage-able assets.
 - 2.17.** Promote 'infusion of funds to public R&D units' as a part of Corporate Social Responsibility to foster a culture of open innovation.
 - 2.18.** Provide special incentives for creation of IPRs in green technologies and manufacture of energy efficient equipment.
 - 2.19.** The ambit of Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) should also be expanded to include other fields besides Ayurveda, Yoga, Unani and Siddha.
 - 2.20.** Public research institutions should be allowed access to TKDL for further R&D, while the possibility of using TKDL for further R&D by private sector may also be explored, provided necessary safeguards are in place to prevent misappropriation.
 - 2.21.** Document oral traditional knowledge, taking care that the integrity of the said knowledge is preserved and traditional ways of life of communities are not compromised.
 - 2.22.** Introduce IPRs as part of academic

- curriculum in educational institutions, especially universities, law and technical institutions.
- 2.23.** Increase awareness of international mechanisms and treaties (e.g. PCT, Madrid, Hague) to encourage creation and protection of IPRs by Indian individuals and entities in global markets.
- 2.24.** Encourage and incentivize IP generation and utilization among students at all levels, use awareness programs and educational materials to inculcate an appreciation for the value of IP.
- 2.25.** Encourage innovations in the agriculture and pisciculture sector through application of IP for higher sustainable agricultural production.
- 2.26.** Encourage the registration of Geographical Indications (GIs) through support institutions; assist GI producers to define and maintain acceptable quality standards, and providing better marketability.
- 2.27.** Encourage creation of design related IP rights by identifying, nurturing and promoting the aspects of innovation protectable under the design law and educating designers to utilize and benefit from their designs; involve the NIDs, NIFTs and other institutions in sensitization campaigns.
- 2.28.** IPR generation for ICT technologies, including those relating to cyber security for India, will be encouraged.
- 2.29.** Take steps to increase domestic filings of patent applications.
- 2.30.** Promote India's rich heritage of traditional knowledge with the effective involvement and participation of the holders of such knowledge. Traditional knowledge holders will be provided necessary support and incentives for furthering the knowledge systems that they have nurtured from the dawn of our civilization.

OBJECTIVE 3

Legal and Legislative Framework

To have strong and effective IPR laws, which balance the interests of rights owners with larger public interest

It is an acknowledged fact that a strong and balanced legal framework encourages continuous flow of innovation and is among the bare necessities to fuel a vibrant knowledge economy. India recognizes that effective protection of IP rights is essential for making optimal use of the innovative and creative capabilities of its people. India has a long history of IP laws which have evolved taking into consideration national needs and international commitments. The existing laws were either enacted or revised after the TRIPS Agreement and are fully compliant with it. These laws along with various judicial decisions provide a stable and effective legal framework for protection and promotion of IPRs. India will continue to utilize the legislative space and flexibilities available in international treaties and the TRIPS Agreement, even as it continues to

engage constructively in the negotiation of such international treaties and agreements. India shall remain committed to the Doha Declaration on TRIPS Agreement and Public Health.

At the same time, India is rich in traditional medicinal knowledge which exists in diverse forms in our country. Amongst them, well developed systems like Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa-Rigpa and Homeopathy have immense economic value. It is important to protect such knowledge, be it oral or in codified form, from misappropriation, while providing space and environment for dynamic development of traditional knowledge for benefit of mankind.

Since it is difficult to predict the reach of existing laws in a changing and dynamic knowledge field, it becomes necessary to carry out legislative changes,

as may be required from time to time. For this purpose, stakeholder consultation shall be done to keep the laws updated in consonance with national needs and priorities. The legal framework may also be utilized to enhance transparency and efficiency in the administration and enforcement of IPR laws.

The steps to be taken towards attaining this objective are outlined below:

- 3.1.** Review existing IP laws, where necessary, to update and improve them or to remove anomalies and inconsistencies, if any, in consultation with stakeholders.
- 3.2.** Engage constructively in the negotiation of international treaties and agreements in consultation with stakeholders; examine accession to some multilateral treaties which are in India's interest; and, become signatory to those treaties which India has de facto implemented to enable it to participate in their decision making process.
- 3.3.** Continue to engage actively and constructively in the deliberations at various international fora to develop legally binding international instrument(s) to protect Traditional Knowledge (TK), Genetic Resources (GR) and Traditional Cultural Expressions (TCE).
- 3.4.** Pursue transfer of clean technology and know-how from developed countries to India, as per the provisions of Article 4 of the UNFCCC, in order to meet the objectives of reducing anthropogenic emissions of GHGs and support activities of climate change adaptation.
- 3.5.** Review and update IP related rules, guidelines, procedures and practices for clarity, simplification, streamlining, transparency and time bound processes in administration and enforcement of IP rights.
- 3.6.** Undertake an in-depth study to determine the appropriateness and extent of applying the existing laws to protecting TK, GR and TCE, and to propose changes required, if any.
- 3.7.** Indian Cinematography Act, 1952 may be suitably amended to provide for penal provisions for illegal duplication of films.
- 3.8.** Identify important areas of study and research for future policy development, such as (the list is indicative, and not exhaustive):
 - 3.8.1.** Interplay amongst IP laws; and between IP laws and other laws to remove ambiguities and inconsistencies, if any;
 - 3.8.2.** IP interface with competition law and policy;
 - 3.8.3.** Guidelines for authorities whose jurisdictions impact administration or enforcement of IPRs such as Patents and Biodiversity;
 - 3.8.4.** Protection of Trade Secrets.
- 3.9.** Examine the issues of technology transfer, know-how and licensing relating to SEPs on fair and reasonable terms and provide a suitable legal framework to address these issues, as may be required.

OBJECTIVE 4 Administration and Management

To modernize and strengthen service-oriented IPR administration

The Offices that administer the different Intellectual Property Rights are the cornerstone of an efficient and balanced IPR system, administering laws, granting or registering IP rights, providing IPR related services to users, including dissemination of IPR related information for the benefit of research & development and furthering of innovation in the country, as also serving as a bridge between the government, IP support institutions and the user community. As IPRs increase in significance and contribute to economic development, the importance and role of IP administration and management has also expanded. The IPR infrastructure is one of the key elements of enhanced competitiveness in the globalized international economic paradigm. This in turn influences the organization, structure and functions of modern IPOs.

Intellectual Property Offices (IPOs) now have the twin challenges of making their operations more efficient, streamlined and cost effective, with expanding work load and technological complexity on one hand, and enhancing their user-friendliness by developing and providing value added services to the user community on the other. Steps will continue to be taken towards modernization of various IP offices, including improvement of ICT infrastructure. Aiming towards a service oriented regime at IPOs, steps would be taken to fix and adhere to timelines for disposal of IPR applications. There is also need to augment manpower after analyzing the projected workload.

Sensitization of IPR officials at all levels with regard to the objects and reasons of our laws and international obligations; their continuous education and training and regular audit of their work will ensure a vibrant and service oriented IPR regime. The Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management, Nagpur (RGNIIIPM) needs to be strengthened to cater to the training needs in an evolving IP environment. Measures should also be taken to promote interaction between the IP Offices

and various R&D organizations and Universities.

The administration of the Copyright Act, 1957, hitherto under the Department of Higher Education, and the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000, hitherto under the Department of Electronics and Information Technology is being brought under the aegis of the Department of Industrial Policy and Promotion leading to synergetic linkage between various IP offices under one umbrella, streamlining processes, and ensuring better services to the users. To facilitate promotion, creation and commercialization of IP assets, a Cell for IPR Promotion and Management (CIPAM) should be constituted under the aegis of DIPP.

Continued efforts should be made for promotion of technical cooperation with IP offices in other countries in areas such as capacity building, human resource development, training, access to databases, best practices in search and examinations, use of ICT and user oriented services.

The steps to be taken towards attaining this objective are outlined below:

- 4.1. The administration of the Copyright Act, 1957 alongwith the office of the Registrar of Copyrights, under the Department of Higher Education, is being transferred to the Department of Industrial Policy and Promotion.
- 4.2. The administration of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 alongwith the office of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry (SICLDR), under the Department of Electronics and Information Technology, is being transferred to the Department of Industrial Policy and Promotion.
- 4.3. Restructure, upgrade and modernize IPOs taking into account the rapid growth and diversity of IP users and services, higher responsibilities and increased workload.

-
- 4.4. Augment manpower after analyzing projected workload, speedy liquidation of backlog, requirements of global protection systems and productivity parameters.
 - 4.5. Study and review the organizational and cadre structure, processes of recruitment, training, career development, performance based incentives to attract and retain the best talent to enhance efficiency and productivity.
 - 4.6. Modernize further the physical and ICT infrastructure taking into account the expanding needs of the IPOs and to accelerate e-filings, e-processing and other e-services.
 - 4.7. Promote interaction between various IP offices and public R&D institutions for sensitization of personnel and scientists.
 - 4.8. Collaborate with various R&D Institutions, Universities, Funding Agencies, Chambers of Industry and Commerce in providing advisory services to improve IP creation, management and utilization.
 - 4.9. Make efforts to include TKDL as a part of PCT minimum documentation.
 - 4.10. Establish close cooperation between IPOs and create a common web portal for ease of access to statutes, regulations, guidelines and for better coordination.
 - 4.11. Promote cooperation with IP offices in other countries in areas of Capacity Building, Human Resource Development, Training, Access to Databases, Best Practices in search and examinations, use of ICT and user oriented services.
 - 4.12. Introduce approaches and mechanisms so that benefits of the IP system reach all inventors including MSMEs, informal innovators and holders of traditional knowledge.
 - 4.13. Create a Cell for IPR Promotion and Management (CIPAM) under the aegis of DIPP to facilitate promotion, creation and commercialization of IP assets.
 - 4.14. Explore the possibility of expedited examination of patent applications to promote manufacturing in India.
 - 4.15. Enhance international and bilateral cooperation and coordinate with Indian Missions abroad to follow IP developments and advice on IP related matters.
 - 4.16. Office of the Controller General of Patents Designs and Trademarks (CGPDTM), which administers patents, designs, trademarks and GIs, has undergone a sea change in the past few years, in up gradation and use of ICT. These changes shall be further advanced through such measures as:
 - 4.16.1. Fix and adhere to timelines for grant of registrations and disposal of opposition matters;
 - 4.16.2. Adopt best practices with respect to filing and docketing of documents, maintenance of records and digitizing the same including document work flow and tracking systems;
 - 4.16.3. Create a service-oriented culture to make the IP office user friendly;
 - 4.16.4. Take steps to expedite digitization of the Design office and enable online search and filing;
 - 4.16.5. Ensure that public records in the IP office are easily available and accessible both online and offline;
 - 4.16.6. Conduct periodic audits of processes being adopted in IP administration for efficient grant and management of IP rights;
 - 4.16.7. Implement quality standards at all stages of operations with the aim to obtain ISO certification;
 - 4.16.8. Establish effective coordination between its office and National Biodiversity Authority to enable harmonious implementation of guidelines relating to grant of patents on inventions using biological resources and associated TK;
 - 4.16.9. Provide continuous training to staff of the IP Office to update them of developments in procedures (especially search and

- examination), substantive laws and technologies, with the Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management, Nagpur (RGNIIIPM);
- 4.16.10. Remove disparities, if any, among different branches of the trademark registries and patent offices and adopt standardized procedures in examination/ grant of applications including maintenance of rights;
- 4.16.11. Implement centralized priority field-wise on a national basis for patent applications;
- 4.16.12. Examine joining Centralized Access for Search and Examination (CASE) and WIPO Digital Access Services (DAS);
- 4.16.13. Existing guidelines published by the Patent Office shall be reviewed periodically and revised to reflect legislative provisions;
- 4.16.14. Value added services in the form of helpdesks, awareness and training materials, ease of remote access of the international patent search mechanisms and other IP related databases;
- 4.16.15. Implement incentives for MSMEs and grass root innovators to encourage filing by the said sector;
- 4.16.16. Conduct patent and trademark agent examinations at regular intervals; arrange training programs and involve them in capacity building activities.
- 4.17.** Office of Registrar of Copyrights will:
- 4.17.1. Take measures to expedite modernization of the Copyright Office in terms of office space and infrastructure, organizational structure, e-filing facility including e-applications, processing and issue of final extracts of registrations;
- 4.17.2. Digitize copyright records and introduce on-line search facility; provide necessary manpower and adequate training facilities to personnel in the Copyright Office;
- 4.17.3. Take urgent measures for effective management and administration of copyright societies to ensure transparency and efficiency in the collection and disbursement of royalties in the best interest of the right holders;
- 4.17.4. Provide user friendly services in the form of helpdesks, awareness and training materials;
- 4.17.5. Streamline the processes to grant copyright permissions to individual creators, enterprises and institutions for their creative work.
- 4.18.** The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority- The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority will:
- 4.18.1. Support increased registration of new, extant and essentially derived varieties of plants and streamline procedures;
- 4.18.2. Facilitate development of seeds and their commercialization by farmers;
- 4.18.3. Establish links between the Authority and Agricultural Universities, Research Institutions, Technology Development & Management Centers and Krishi Vigyan Kendras;
- 4.18.4. Coordinate with other IPOs for training, sharing expertise and adopting best practices;
- 4.18.5. Augment awareness building, training and teaching programs;
- 4.18.6. Modernize office infrastructure and use of ICT.
- 4.19.** Registrar of Semiconductor Integrated Circuits Layout Design -
- 4.19.1. The Registrar will study the reasons for lack of interest in filings under the Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act, 2000 and suggest appropriate remedial measures;
- 4.19.2. Liaise with the concerned group in the Patent office and Design wing under the CGPDTM for further working.
- 4.20.** National Biodiversity Authority (NBA) -
- 4.20.1. The Government will formalize a consultation and coordination mechanism between the NBA, IPOs and other concerned Ministries/ Departments like AYUSH, with a view to harmonious

implementation of guidelines for grant of IP rights and access to biological resources and associated traditional knowledge and benefit sharing;

- 4.20.2. The NBA will streamline approvals for expeditious grant of IP rights, monetary and non-monetary benefit-sharing and introduce efficient and user friendly mechanisms for a meaningful interface between the NBA and

applicants.

- 4.21. Re-designate the institution of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks as Controller General of Intellectual Property Rights to reflect its mandate in view of the proposed change in its scope of responsibilities.

OBJECTIVE 5

Commercialization of IPRs

Get value for IPRs through commercialization

The value and economic reward for the owners of IP rights comes only from their commercialization. A concerted effort should be made for capitalizing the existing IP assets in the country. Entrepreneurship should be encouraged so that the financial value of IPRs may be captured. Existing mechanisms including Incubators and Accelerators set up to promote entrepreneurship should be strengthened with IP-oriented services.

Financing is a major impediment for entrepreneurs and therefore it is necessary to connect investors and IP creators. Another constraint faced is valuation of IP and assessment of the potential of the IPRs for the purpose of marketing it.

There is an urgent need to take stock of existing IP funding by different departments and bodies of the Government like BIRAC, NRDC and TIFAC, and take measures to consolidate the same, scaling up successful models while avoiding duplication of efforts. Public-funded research laboratories, academia and other institutions should stimulate commercialization of their research outcomes. They ought to be suitably state-supported in the development and deployment of their IPRs.

While certain larger organizations have the intent and capabilities to commercialize their technology/IPRs, several others do not. Hence, it becomes imperative to establish facilitative mechanisms that can address such limitations, especially in terms of MSMEs, academic institutions and individual

innovators. One of the effective ways of achieving this would be by synergizing the activities of IP facilitation centres with the industry, especially industrial clusters. This would also include sensitization regarding licensing arrangements. Efforts should be made for creation of a public platform to function as a common database of IPRs. Such a platform can help creators and innovators connect to potential users, buyers and funding institutions. It would also be helpful in scouting the technology landscape to identify white spaces and thereby help promote innovative activities in uncovered areas. Significant potential for innovation exists in new and emerging technologies like nano-technology, biotechnology, agribiotech, life sciences, green technologies, telecommunications, new materials, space technologies, etc. The steps to be taken towards attaining this objective are outlined below:

- 5.1.** CIPAM shall also undertake the following tasks:
- 5.1.1. Provide a platform for IPR owners and users of IPRs by acting as a facilitator for creators and innovators to be connected with potential users, buyers and funding agencies;
 - 5.1.2. Undertake a study to examine the feasibility of an IPR Exchange;
 - 5.1.3. Establish links among different organizations for exchange of information

- and ideas as also to develop promotional/ educational products and services;
- 5.1.4. Facilitate access to databases on Indian IP and global databases of creators/ innovators, market analysts, funding agencies, IP intermediaries;
- 5.1.5. Study and facilitate implementation of best practices for promotion and commercialization of IP within the country and outside;
- 5.1.6. Promote public sector initiatives for IPR commercialization.
- 5.2. Promote licensing and technology transfer for IPRs; devising suitable contractual and licensing guidelines to enable commercialization of IPRs; promote patent pooling and cross licensing to create IPR based products and services.
- 5.3. Provide support for MSMEs, Individual Inventors and Innovators from the informal sectors with enablers like facilitation centers for single window services to help them commercialize their IPRs.
- 5.4. Incentivize Indian inventors, MSMEs and start-ups to acquire and commercialize IPRs in other countries also.
- 5.5. Examine availability of Standard Essential Patents (SEPs) on fair, reasonable and nondiscriminatory (FRAND) terms.
- 5.6. Identify opportunities for marketing Indian IPR-based products, especially GIs, and services to a global audience.
- 5.7. Promote collaborative IP generation and commercialization efforts between R&D institutions, Industry, Academia and Funding Agencies.
- 5.8. Ensure enhanced access to affordable medicines and other healthcare solutions by (a) encouraging cross-sector partnerships between public sector, private sector, universities and NGOs; (b) promoting novel licensing models, and (c) developing novel technology platforms.
- 5.9. Streamline regulatory processes to ensure timely approval for manufacturing and marketing of drugs while maintaining safety and efficacy standards.
- 5.10. Make efforts to reduce dependency on active pharmaceutical ingredients (API) imports, including incentivizing manufacture of APIs in India and revitalizing public sector undertakings in health care sector.
- 5.11. Support the financial aspects of IPR commercialization by:
- 5.11.1. Enabling valuation of IP rights as intangible assets by application of appropriate methodologies and guidelines; facilitating securitization of IP rights and their use as collateral by creation of enabling legislative, administrative and market framework;
- 5.11.2. Facilitating investments in IP driven industries and services through the proposed IP Exchange for bringing investors/ funding agencies and IP owners/ users together;
- 5.11.3. Providing financial support to the less empowered groups of IP owners or creators like farmers, weavers, artisans, craftsmen, artists etc. through financial institutions like rural banks or cooperative banks offering IP friendly loans;
- 5.11.4. Providing financial support for development and commercialization of IP assets through links with financial institutions including banks, venture capital funds, angel funds, crowd funding mechanisms;
- 5.11.5. Utilizing Technology Acquisition and Development Fund under the Manufacturing Policy for licensing or procuring patented technologies;
- 5.11.6. Taking stock of all IP funding by the Government and suggesting measures to consolidate the same to the extent possible; scaling up the funding as needed and avoiding duplication; enhancing the visibility of IP and innovation related funds so that utilization is increased; performance based evaluation for continued funding.
- 5.12. Promote use of Free and Open Source Software along with adoption of open

standards; possibility of creating Indian standard operating environments will be examined.

5.13. Promote going-to-market activities by:

5.13.1. Creating mechanisms to help MSMEs and research institutions to validate pilots and scale up through market testing;

5.13.2. Providing seed funding for marketing activities such as participating in trade fairs,

industry standards bodies and other forums;

5.13.3. Providing guidance and support to IPR owners about commercial opportunities of e-commerce through Internet and mobile platforms;

5.13.4. Encouraging enterprises to create brand equity from their IP rights, such as Trademarks and GIs.

OBJECTIVE 6

Enforcement and Adjudication

To strengthen the enforcement and adjudicatory mechanisms for combating IPR infringements

IP rights are essentially private rights. The primary obligation of protecting IP rights is on the IPR owners who can seek legal remedies for enforcement of their rights. Along with providing an effective mechanism for enforcement of IP rights, it is equally important to balance the rights of the public in a manner conducive to social and economic welfare and to prevent misuse or abuse of IP rights.

There is a need to build respect for IPR among the general public and to sensitize the inventors and creators of IP on measures for protection and enforcement of their rights. At the same time, there is also a need to build the capacity of the enforcement agencies at various levels, including strengthening of IPR cells in State police forces.

Measures to check counterfeiting and piracy also need to be identified and undertaken. In this regard, the definitions of “counterfeit trademark goods” and “pirated copyright goods” as referred to in the footnote of Article 51 of the TRIPS Agreement shall serve as the guiding principles.

Regular IPR workshops/colloquia at judicial academies and other fora for judges would facilitate effective adjudication of IPR disputes. Multi-disciplinary IP courses/modules for other stakeholders are also needed.

It would be desirable to adjudicate on IPR disputes through specialised commercial courts. Alternative Dispute Resolution mechanism may also be explored. The steps to be taken towards attaining this objective are outlined below:

6.1. Create awareness of the value of IP and respect for IP culture by:

6.1.1. Educating the general public, especially the youth and students, on ills of counterfeit and pirated products;

6.1.2. Engaging with all levels of industry, including e-commerce, in order to create respect for IP rights and devise collaborative strategies and tools;

6.1.3. Sensitizing inventors, creators of IP on measures for protection and enforcement of their rights.

6.2. Take strong measures against attempts to treat generic drugs as spurious or counterfeit.

6.3. Undertake stringent measures to curb manufacture and sale of misbranded, adulterated and spurious drugs.

6.4. Public awareness as also legal and enforcement mechanisms, including technology based measures, will be reinforced to combat offline and online piracy.

6.5. Small technology firms will be supported in safeguarding their IP rights; for instance, support for IPR in ICT focus areas will be provided through easy to-use portals.

6.6. Assistance to smaller firms for protection of their IPRs internationally will be enhanced, such as DeitY's Support for International

- Patent Protection in Electronics and IT (SIP-EIT).
- 6.7.** Pursue incidents of misappropriation of TK, GR and TCE in other countries vigorously.
- 6.8.** Strengthen the enforcement mechanisms for better protection of IP rights by:
- 6.8.1. Enhanced coordination between the various agencies and providing direction and guidance on strengthening enforcement measures; coordinating with and sharing of intelligence and best practices at the national and international level; studying the extent of IP violations in various sectors; examining the implications of jurisdictional difficulties among enforcement authorities; and introducing appropriate technology based solutions for curbing digital piracy;
- 6.8.2. Working closely with state governments for establishment of IP cells for curbing IP offences;
- 6.8.3. Augmenting manpower, infrastructure facilities and technological capabilities of the enforcement agencies and building capacity to check proliferation of digital crimes;
- 6.8.4. Providing regular training, including refresher training, for officials in the enforcement agencies at their academies;
- 6.8.5. Encouraging application of technology based solutions in the enforcement of IP rights;
- 6.8.6. Initiating fact-finding studies in collaboration with stakeholders concerned to assess the extent of counterfeiting and piracy and the reasons behind it as well as measures to combat it;
- 6.8.7. Taking up the issue of Indian works and products being pirated and counterfeited abroad with countries concerned.
- 6.9.** Licensing practices or conditions that may have an adverse effect on competition will be addressed through appropriate measures, including regulation of anti-competitive conduct in the market by the Competition Commission of India.
- 6.10.** Facilitate effective adjudication of IP disputes through different measures including:
- 6.10.1. Adjudicate IP disputes through Commercial Courts, set up at appropriate level;
- 6.10.2. Creating IP modules including case laws for the benefit of judges who deal in IP; conducting regular IP workshops/colloquia at the judicial academies;
- 6.10.3. Promoting ADRs in the resolution of IP cases by strengthening mediation and conciliation centers, and developing ADR capabilities and skills in the field of IP.

OBJECTIVE 7

Human Capital Development

To strengthen and expand human resources, institutions and capacities for teaching, training, research and skill building in IPRs

The IPR scenario is dynamic and fast changing with increasing globalization, advancement of technologies, digital environment, development imperatives and global public policy issues. It is important to build national capacity for providing thought leadership in the IPR field. Continuous policy research is also needed on empirical and topical IPR areas of relevance with an interdisciplinary perspective at the national and international level. This research would enrich the process of policy, law, strategy development and international negotiations at the government and organizational levels. While apex level institutes or bodies exist for most sectors of national importance, such an institution is yet to be established for intellectual property rights development.

In order to harness the full potential of IPRs for economic growth, it is essential to develop an increasing pool of IPR professionals and experts in spheres such as policy and law, strategy development, administration and enforcement. IPR expertise would thus need to be developed and increased in industry, academia, legal practitioners, judiciary, IP users and civil society. In addition, there will be enhancement of multidisciplinary human and institutional capacity for policy development, teaching, training, research and skill building. Such a reservoir of experts will facilitate in increasing generation of IP assets in the country and their utilization for development purposes.

The steps to be taken towards attaining this objective are outlined below:

- 7.1. Strengthen and empower RGNIIIPM, Nagpur to conduct training for IPR administrators and managers in industry and business, academicians, R&D institutions; IP professionals; inventors and civil society; train the trainers and develop training modules; develop links with other similar entities at the international level; provide legal training for examiners.
- 7.2. Strengthen IP Chairs in educational institutes of higher learning to provide quality teaching and research; develop teaching capacity and curricula and evaluate their work on performance based criteria.
- 7.3. Introduce multi-disciplinary IP courses/ modules in all major training institutes such as Judicial Academies, National Academy of Administration, Police and Customs Academies, Institute for Foreign Service Training, Forest Training Institutes.
- 7.4. Making IPR an integral part of the curriculum in all legal, technical, medical and management educational institutions, NIFTs, NIDs, AYUSH Educational Institutes, Agricultural Universities, centres of skill development and the like.
- 7.5. Strengthen existing and create new IPR cells and technology development and management units in NIDs, NIFTs, Agricultural Universities, Technology and Management Institutes and centres of skill development.
- 7.6. Encourage formulation of institutional IP Policy/ Strategy in Government Departments, Higher Education, Research and Technical Institutions.
- 7.7. Progressively introduce IP teaching in Schools, Colleges and other Educational Institutions and centres of skill development.
- 7.8. Facilitate Industry Associations, Inventor and Creators Associations and IP Support Institutions to raise awareness of IP issues and for Teaching, Training and Skill Building.
- 7.9. Develop distance learning and on-line courses on IP for all categories of users; strengthen IP teaching in open universities and centres of skill development.

7.10. Strengthen IP Teaching, Research and Training in collaboration with WIPO, WTO, other International Organizations and reputed Foreign Universities.

7.11. Encourage and support capacity building among Women Creators, Innovators, Entrepreneurs, Practitioners, Teachers and Trainers.

IMPLEMENTATION

Intellectual property in India is regulated by several laws, rules and regulations under the jurisdiction of different Ministries/ Departments. A number of authorities and offices administer the laws. The legal provisions need to be implemented harmoniously so as to avoid conflict, overlap or inconsistencies among them. It is necessary that the authorities concerned administer the laws in coordination with each other in the interest of efficient administration and user satisfaction. Legal, technological, economic and socio-cultural issues arise in different fields of IP which intersect with each other and need to be addressed and resolved by consensus in the best public interest. International, regional and bilateral negotiations require developing a common national position in consultation with different Ministries, authorities and stakeholders.

The present IP Policy aims to integrate IP as a policy and strategic tool in national development plans. It foresees a coordinated and integrated development of IP system in India and the need for a holistic approach to be taken on IP legal, administrative, institutional and enforcement related matters.

Thus, the Department of Industrial Policy and Promotion shall be the nodal point to coordinate, guide and oversee implementation and future development of IPRs in India. The responsibility for actual implementation of the plans of action will remain with the Ministries/ Departments concerned in their assigned sphere of work. Public and private sector institutions and other stakeholders, including State governments, will also be involved in the implementation process.

Cover designed by:
Akshay Khatri, National Institute of Design, Ahmedabad



सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Industrial Policy & Promotion

For any queries, please contact:
cipam-dipp@gov.in



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति

रचनात्मक भारत; अभिनव भारत
Creative India; Innovative India





सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति

12 मई 2016

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग



राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
वाणिज्य और उद्योग
भारत

संदेश


हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति, रचनात्मकता और अभिनवीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह दस्तावेज भारत में आईपीआर के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति उसी ज्ञान-अर्थव्यवस्था से उत्प्रेरित होती है, जो उसकी रचनात्मक क्षमताओं और अभिनवीकरण से लाभान्वित होकर आगे बढ़ती है। यह नीति भारत के लिए उच्चस्तरीय आर्थिक तथा सामाजिक लाभ अर्जित करने के लिए आईपीआर की शक्तियों को और अधिक सुदृढ़ करती है। एक जीवंत बौद्धिक संपदा (आईपी) पारिस्थितिकी तंत्र न केवल भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, अपितु इसके सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके जन कल्याण का संवर्धन भी करेगा। यह नीति अभिनवीकरण में सहायक वातावरण के निर्माण में अनुसंधान और विकास संगठनों, शिक्षण संस्थाओं, निगमों, एमएसएमई, स्टार्ट-अप और अन्य हितधारकों को शामिल करने के अलावा सरकार के आईपीआर संबंधी सेवा प्रदान करने वाले तंत्र को सुदृढ़ करेगी।

इस विभाग ने नीति तैयार करने के लिए एक आईपीआर विचारक समूह का गठन किया था, जिसने अपना कार्य पूरी मेहनत और लगन से किया है। मैं उक्त कार्य के लिए विचारक समूह के सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और सभी अन्य विभागों को इस नीति के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए शुभकामनाएं, जो घरेलू और विदेशी, दोनों प्रकार के निवेशकों को देश में एक स्थिर आईपीआर व्यवस्था की मौजूदगी के संबंध में आश्वस्त करेगी।

राष्ट्रीय आईपीआर नीति की परिकल्पना के समय से इसके साथ जुड़ना, सम्मान की बात है, और उम्मीद है कि इससे भारत की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक-संस्कृतिक विकास की दिशा में बौद्धिक संपदा संबंधी क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल होगा।


(निर्मला सीतारमण)



सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
भारत सरकार

संदेश

भारत की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति देश में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए तैयार की गई है, जो न केवल बौद्धिक संपदा संबंधी जागरूकता एवं सृजन की दृष्टि से अपितु वाणिज्यीकरण एवं प्रवर्तन की दृष्टि से भी, अभिनवीकरण तथा रजनात्मकता के लिए अनुकूल होगी ।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति में देश में एक ऐसी आईपीआर रूपरेखा को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है जिससे समाज के सभी वर्गों में आईपीआर के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लाभों के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न होगी, आईपीआर सृजन और वाणिज्यीकरण प्रोत्साहित होगा तथा आईपीआर संबंधी उल्लंघनों से निपटने के लिए सेवा-उन्मुख आईपीआर प्रशासन के साथ-साथ प्रवर्तन एवं न्यायिक तंत्र मजबूत होगा ।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है । यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसे हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं और जिसे पूरा करने को हम भरसक प्रयास करेंगे । इसके लिए आईपी परिसंपत्तियों के संवर्धन, सृजन एवं वाणिज्यीकरण में सुगमता के लिए डीआईपीपी के नियंत्रणाधीन एक दक्ष व प्रभावी आईपीआर संवर्धन एवं प्रबंधन सैल (सीआईपीएम) गठित किया जाएगा ।

यह सर्वव्यापी आईपीआर नीति जनहित का संरक्षण करते हुए एक ऐसे वातावरण को प्रोत्साहित करेगी जिसमें भारत की बौद्धिक संपदा पारिस्थितिक प्रणाली अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप विकसित हो सके । एक मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार ढांचा, भारत में स्थानीय व्यवसाय पारिस्थितिक प्रणाली को बढ़ावा देने के साथ-साथ निवेश को आकर्षित करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा ।

मैं भारत में एक सबल एवं संतुलित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली निर्मित करने के लिए सभी हितधारकों को भागीदारी के लिए आमंत्रित करता हूँ । आइए, हम सब एक रचनात्मक एवं अभिनव भारत के लिए मिलकर योगदान करें ।

(रमेश अभिषेक)

विषय-तालिका

कार्यकारी सारांश	1
प्रस्तावना	4
सिंहावलोकन.....	4
विजन विवरण	6
मिशन विवरण	6
उद्देश्य	6
उद्देश्य 1: आईपीआर जागरूकता : प्रसार (आरुटरीच) तथा संवर्धन.....	6
उद्देश्य 2: आईपीआर का सृजन	8
उद्देश्य 3: विधि एवं विधायी ढांचा	12
उद्देश्य 4: प्रशासन एवं प्रबंधन	13
उद्देश्य 5: आईपीआर का वाणिज्यीकरण	18
उद्देश्य 6: प्रवर्तन और न्याय-निर्णय	20
उद्देश्य 7: मानव पूंजी विकास	22
कार्यान्वयन	24

कार्यकारी सारांश

किसी ज्ञान संबंधी अर्थव्यवस्था के विकास में रचनात्मकता तथा अभिनवीकरण का सतत योगदान रहता है। भारत में प्रचुर मात्रा में रचनात्मकता तथा अभिनव ऊर्जा प्रवाहित रहती है। भारत में ट्रिप्स अनुकूल, पुष्ट, एकसमान तथा गतिशील आईपीआर व्यवस्था है। भारत की आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा की पूर्ण क्षमता को उत्प्रेरित करने के लिए व्यापक आईपीआर नीति से एक समग्र तथा अनुकूल पारिस्थितिकी प्रोत्साहित होगी एवं जनहित की सुरक्षा होगी। राष्ट्रीय आईपीआर नीति, एक बाजार-योग्य वित्तीय परिसंपत्ति तथा आर्थिक औजार के रूप में आईपीआर के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के औचित्य से बनाई गई है।

विजन विवरण

एक ऐसा भारत जहां सभी के हित के लिए बौद्धिक संपदा द्वारा रचनात्मकता तथा अभिनवीकरण प्रोत्साहित हों; एक ऐसा भारत जिसमें बौद्धिक संपदा से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कला तथा संस्कृति, परंपरागत ज्ञान तथा जैव विविधता के संसाधनों का विकास प्रोत्साहित होता हो; एक ऐसा भारत जहां ज्ञान विकास का मुख्य वाहक हो तथा अर्जित ज्ञान, साझा ज्ञान में अंतरित हो।

मिशन विवरण

भारत में एक गतिशील, उत्साहपूर्ण तथा संतुलित बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को प्रोत्साहित करना ताकि :

- रचनात्मकता तथा अभिनवीकरण को पोषित किया जा सके, जिससे उद्यमिता प्रोत्साहित हो तथा सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में बढ़ोतरी हो, और
- महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय महत्व के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ-साथ चिकित्सा व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा तथा पर्यावरणीय संरक्षण तक पहुंच को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

इस नीति में सात उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जिनका अभिज्ञात नोडल मंत्रालय/ विभाग द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के साथ उल्लेख किया गया है।

उद्देश्यों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नवत है:-

उद्देश्य 1

आईपीआर जागरूकता : प्रसार (आऊटरीच) तथा संवर्धन - समाज के सभी वर्गों में आईपीआर के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना।

21वीं सदी, ज्ञान युग से संबंध रखती है तथा यह ज्ञानपरक अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित होती है। आईपीआर संवर्धन का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए जिसका उद्देश्य आईपीआर के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना हो तथा इनके महत्व की जानकारी अधिकारधारकों तथा जनता को देना हो। ऐसे कार्यक्रम से एक ऐसा वातावरण बनेगा जिससे सरकारी तथा निजी क्षेत्रों, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, उद्योग तथा शिक्षा क्षेत्र में रचनात्मकता तथा अभिनवीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी संरक्षणीय बौद्धिक संपदा का सृजन होगा जिसका व्यवसायीकरण किया जा सकता है। यह भी जरूरी है कि कम दृश्य आईपी उत्पादकों तथा धारकों, विशेषकर ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचा जाए। इस कार्यक्रम का नारा एक होगा:

“Creative India; Innovative India:

रचनात्मक भारत; अभिनव भारत”

उद्देश्य 2

आईपीआर का सृजन - आईपीआर के निर्माण को उत्प्रेरित करना

भारत के पास एक विशाल वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय प्रतिभा का पूल है जो अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, उद्यमों, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों में फैला हुआ है। इस प्रचुर ज्ञान संसाधन का दोहन करने तथा आईपी परिसम्पत्तियों के सृजन को उत्प्रेरित करने की जरूरत है। सभी क्षेत्रों में एक समग्र आधार-रेखा सर्वेक्षण तथा आईपी लेखा-परीक्षा से विशिष्ट क्षेत्रों में संभावना का आंकलन तथा

मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार लक्ष्यगत कार्यक्रम बनाने तथा कार्यान्वित करने में सफलता मिलेगी। राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्रों के बारे में अनुसंधानकर्ताओं तथा अभिनवकर्ताओं को सुविधा देने के लिए मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्पोरेट सेक्टर को भी आईपीआर का निर्माण तथा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। एक तंत्र तैयार करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है ताकि आईपीआर व्यवस्था के लाभ सभी आविष्कारकों, विशेषकर एमएसएमई, स्टार्टअप तथा निचले स्तर के अभिनवकर्ताओं तक पहुंच सकें।

उद्देश्य 3

विधि एवं विधायी ढांचा - मजबूत तथा प्रभावी आईपीआर कानून बनाया जाना, जो अधिकार-धारकों के हितों के साथ व्यापक जनहित में संतुलन रखे भारत के मौजूदा आईपी कानूनों को ट्रिप्स करार के बाद या तो अधिनियमित कर दिया गया अथवा संशोधित कर दिया गया तथा ये इसके पूर्णतः अनुकूल हैं। विभिन्न न्यायिक निर्णयों के साथ इन कानूनों में आईपीआर के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु एक टिकाऊ तथा कारगर कानूनी ढांचा की व्यवस्था है। भारत ट्रिप्स करार तथा जनस्वास्थ्य संबंधी दोहा घोषणा के प्रति वचनबद्ध रहेगा। इसके साथ-साथ, भारत परंपरागत चिकित्सा ज्ञान में समृद्ध है जो हमारे देश में विभिन्न रूपों में विद्यमान है तथा इसके दुरुपयोग को रोकना महत्वपूर्ण है।

उद्देश्य 4

प्रशासन तथा प्रबंधन - सेवोन्मुख आईपीआर प्रशासन को आधुनिक तथा सुदृढ़ बनाना विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) का प्रशासनिक कार्य करने वाले कार्यालय, एक दक्ष तथा संतुलित आईपीआर प्रणाली के आधार-स्तंभ हैं। बौद्धिक संपदा कार्यालयों के सामने बढ़ते कार्यभार तथा प्रौद्योगिकी जटिलता के साथ अपने प्रचालनों को और अधिक कारगर, सुप्रवाहित तथा किफायती बनाने के साथ-साथ प्रयोक्ता समुदाय को विकास द्वारा प्रयोक्ता अनुकूलता को बढ़ाकर मूल्य संवर्धित सेवाएं

प्रदान करने की दोहरी चुनौती है। आईपीआर संवर्धन तथा प्रबंधन (सीआईपीएम) के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन करने के अलावा, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 के प्रशासनिक कार्य को डीआईपीपी के अंतर्गत लाया जा रहा है। इससे विभिन्न आईपी कार्यालयों के बीच और अधिक प्रभावी एवं सहक्रियात्मक कार्यकरण तथा आईपी परिसम्पत्तियों के संवर्धन, सृजन एवं वाणिज्यीकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उद्देश्य 5

आईपीआर का वाणिज्यीकरण - वाणिज्यीकरण के माध्यम से आईपीआर के लिए महत्व प्राप्त करना आईपी अधिकारों के धारकों को महत्व तथा आर्थिक प्रतिफल केवल इनके वाणिज्यीकरण के बाद ही प्राप्त होता है। उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि आईपीआर संबंधी वित्तीय फायदा मिल सके। प्रवर्तकों निवेशकों तथा आईपी रचनाकारों को परस्पर सम्बद्ध किया जाना आवश्यक है। एक अन्य बाधा, जो सामने आती है वह आईपी के वाणिज्यीकरण के उद्देश्य से आईपी तथा आईपीआर की क्षमता का मूल्यांकन करना है। रचनाकारों तथा प्रवर्तकों को संभावित प्रयोक्ताओं, खरीददारों तथा वित्त पोषण वाली संस्थाओं के साथ जोड़ने के लिए एक लोक मंच के गठन हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।

उद्देश्य 6

प्रवर्तन तथा न्याय-निर्णय - आईपीआर उल्लंघनों को रोकने के लिए प्रवर्तन तथा न्याय निर्णयकारी तंत्रों को सुदृढ़ करना सामान्य जनता में आईपीआर के प्रति सम्मान जागृत करने तथा आईपीआर अधिकारों के संरक्षण तथा प्रवर्तन हेतु आईपी के आविष्कारकों तथा रचनाकारों को सजग करने की जरूरत है। साथ-साथ, विभिन्न स्तरों पर, राज्य पुलिस बलों के आईपीआर प्रकोष्ठों को सुदृढ़ करने सहित, प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता को भी सुदृढ़ करने की जरूरत है। नकल तथा चोरी को रोकने के लिए उपायों की पहचान करने तथा

उन्हें अपनाने की भी जरूरत है। न्यायाधीशों की नियमित कार्यशालाओं/ वार्तालाप से आईपीआर विवादों का कारगर निर्णय करने में सुविधा होगी। विशेष वाणिज्यिक न्यायालयों के माध्यम से आईपीआर विवादों को सुलझाना वांछनीय होगा। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की संभावना को भी तलाशा जाना चाहिए।

उद्देश्य 7

मानव पूंजी विकास - आईपीआर शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा कौशल निर्माण के लिए मानव साधनों, संस्थाओं तथा क्षमताओं को सुदृढ़ करना। आर्थिक विकास हेतु आईपीआर की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए, यह आवश्यक है कि आईपीआर पेशेवरों तथा विशेषज्ञों का नीति तथा कानून, कार्यनीतिक विकास, प्रशासन तथा प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में एक संवर्धनकारी पूल का विकास किया जाए। विशेषज्ञों के इस प्रकार के भंडार से देश में आईपी परिसम्पत्तियों के उत्तरोत्तर सृजन तथा विकास के

प्रयोजनों के लिए इनका प्रयोग करने में सुविधा प्राप्त होगी।

कार्यान्वयन

वर्तमान आईपी नीति का उद्देश्य आईपी को राष्ट्रीय विकास योजनाओं में एक नीतिगत तथा कार्यनीतिक साधन के रूप में एकीकृत करना है। इसमें भारत में आईपी प्रणाली का समन्वित तथा एकीकृत विकास तथा आईपी कानून, प्रशासनिक, संस्थागत तथा प्रवर्तन से संबद्ध मामलों पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत निहित है। हालांकि, भारत में आईपीआर के समन्वय, मार्गदर्शन तथा कार्यान्वयन निगरानी और भविष्यगत विकास के लिए डीआईपीपी एक नोडल प्वाइंट होगा परंतु कार्य योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन की जिम्मेदारी, मंत्रालयों/ विभागों की उनको सौंपे गए कार्यक्षेत्र में होगी। सरकारी तथा निजी क्षेत्र की संस्थाएं तथा राज्य सरकारों सहित अन्य साझेदार भी इस कार्यान्वयन प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे।

प्रस्तावना

रचनात्मकता तथा अभिनवीकरण किसी ज्ञानपरक अर्थव्यवस्था में वृद्धि तथा विकास के लिए सतत आधार रहे हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में रचनात्मक तथा अभिनव ऊर्जा का संचार हो रहा है। फिल्म तथा संगीत उद्योग का विकास; वैश्विक रूप से किफायती दवाइयों को पहुंच में लाने में भारतीय औषध क्षेत्र का योगदान तथा विश्वास की फार्मोसी बनने में इसका कार्यान्तरण; एक सशक्त तथा गतिशील साफ्टवेयर उद्योग; एक अच्छा विविध हस्तकला तथा वस्त्र उद्योग; आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा योग जैसी समृद्ध तथा बहुरूपी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां; भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में की गई प्रगति तथा इसे किफायती रखने में भारतीय वैज्ञानिकों की अग्रणी भूमिका; इन ऊर्जाओं के कुछेक उदाहरण हैं।

हालांकि, भारत सदैव एक अभिनवकारी समाज रहा है परंतु इसकी अधिकतर सृजित बौद्धिक संपदा, जागरूकता की कमी तथा इस अवधारणा कि आईपी संरक्षण की या तो जरूरत नहीं अथवा इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल है, इन दो कारणों से असंरक्षित रही है। राष्ट्रीय आईपीआर नीति का मुख्य तर्काधार एक विपणनीय वित्तीय परिसंपत्ति तथा आर्थिक औजार के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत में निहित है।

भारत में एक सशक्त आईपी कानून तथा एक मजबूत आईपी विधिशास्त्र है। इस कानूनी कार्य-ढांचे में महत्वपूर्ण नीतिगत स्थित तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताएं परिलक्षित होती हैं जो समय के साथ-साथ विकास जरूरतों तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, विकसित हुई हैं।

इस व्यापक आईपीआर नीति से, जनहित का संरक्षण करते हुए, भारत के आर्थिक विकास तथा सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा की संपूर्ण संभाव्यता को उत्प्रेरित करने के लिए एक समग्र तथा सहायक पारिस्थितिकी को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी नीति से आईपी संस्कृति पोषित होगी

जो सभी रचनाकारों तथा अभिनवकारों को आईपीआर का सृजन करने, संरक्षण करने तथा इसका इस्तेमाल करने के लिए अपनी क्षमताओं का अहसास कराने में उनका मार्गदर्शन करेगी तथा उन्हें कार्यक्षम बनाएगी, जिससे सम्पत्ति-सृजन, रोजगार अवसरों तथा व्यवसाय विकास में योगदान मिलेगा।

इस नीति से सरकार, अनुसंधान तथा विकास संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं, एमएसएमई सहित कॉर्पोरेट कंपनियों, स्टार्टअप, तथा अन्य साझेदारों में अभिनवीकरण में सहायक परिवेश के निर्माण में सहायता मिलेगी। यह हमारे पारदर्शी ठोस कानूनों, पूर्वानुमेय तथा कारगर प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक तंत्रों तथा परिपूर्ण सुशिक्षित न्यायिक ढांचे की शक्तियों को बढ़ायेगी।

सिंहावलोकन

राष्ट्रीय विकास संबंधी प्राथमिकताओं के अनुकूल तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों तथा करारों, जिनका भारत एक पक्षकार है, के अनुसार सरकार द्वारा पिछले दो दशकों में किए गए ठोस उपायों से एक ट्रिप्सर अनुकूल, सशक्त, एकसमान तथा गतिशील आईपीआर व्यवस्था की स्थापना हुई है। विधायी तथा प्रशासनिक स्तरों पर व्यापक तथा दूरदर्शी परिवर्तनों के साथ सतत तथा निरंतर सुधारों के परिणामस्वरूप आईपीआर के प्रशासन, प्रबंधन तथा प्रवर्तन में सुदृढ़ता आई है।

भारत में विभिन्न आईपीआर को शासित करने वाले विधान इस प्रकार हैं:- पेटेंट अधिनियम, 1970; व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999; डिजाइन अधिनियम, 2000, वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999; प्रतिलिप्यनधिकार अधिनियम, 1957; पौध किस्मों तथा किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2001; अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 तथा जैव विविधता अधिनियम, 2002।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग(डीआईपीपी) को अन्य संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के साथ समन्वयन सहित, आईपीआर संबंधी विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी,

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ), से संबंधित मामलों का कार्य सौंपा गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अधीन पेटेंट, डिजाइन तथा व्यापार चिह्न महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) को पेटेंट, डिजाइन तथा व्यापार चिह्न तथा भारत के भू-भाग के भीतर भौगोलिक संकेतों से संबंधित कानूनों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है। सीजीपीडीटीएम वर्तमान में 4 शहरों (चेन्नै, दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई) में स्थित पेटेंट कार्यालयों तथा पांच शहरों (अहमदाबाद, चेन्नै, दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई) में स्थित व्यापार चिह्न कार्यालयों तथा चेन्नै स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री और कोलकाता स्थित एक डिजाइन विंग के माध्यम से कार्य करता है। सीजीपीडीटीएम का कार्यालय, नागपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान का प्रभारी भी है।

प्रतिलिप्याधिकार का प्रशासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम व्यापक है तथा हाल के संशोधनों से रचनाकारों के अधिकार सुदृढ़ हुए हैं।

पौधों की किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 भारत में एक अद्वितीय विधान है जो पौधों की किस्मों तथा किसानों के अधिकारों का संरक्षण करता है तथा यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत है।

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के लिए उत्तरदायी था; अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम के अंतर्गत प्रथम पंजीकरण अक्टूबर, 2014 में प्रदान किया गया था।

भारत में जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत है; जैव विविधता अधिनियम, 2002 में जैव संसाधनों तथा सम्बद्ध परम्परागत ज्ञान के इस्तेमाल से होने वाले लाभों को समान रूप से साझा करने एवं उनके विनियमन के लिए तंत्र की व्यवस्था है।

भारत सदैव अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने दायित्वों के प्रति सजग रहा है तथा वैश्विक स्तर पर आईपीआर हित के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदार रहा है। भारत दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित कार्यों तक पहुंच के वास्ते मारकेश संधि, 2013 में संशोधन करने वाला पहला देश था। मेड्रिड प्रोटोकाल में वर्ष 2013 में शामिल होना, प्रोपराइटर्स ऑफ मार्कस के लिए वैश्विक गठबंधन की दिशा में एक कदम है। भारतीय पेटेंट कार्यालय को एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्राधिकरण तथा एक अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक जांच प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

भारत में आईपीआर व्यवस्था के पास न्यायिक समीक्षा तथा अपीलीय प्रावधानों के रूप में पर्याप्त सुरक्षोपाय हैं। भारतीय न्यायालयों ने हमारे कानूनों के आशय तथा उद्देश्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाले निर्णयों के साथ पूरी निष्ठा के साथ आईपीआर लागू किए हैं। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, पेटेंट नियंत्रकों तथा ट्रेडमार्क और जीआई रजिस्ट्रारों के निर्णयों से संबंधित अपीलों की सुनवाई करता है।

अनेक पहल करते हुए, सीजीपीडीटीएम के अंतर्गत आने वाले आईपी कार्यालयों को आधुनिक बनाया गया है तथा उनकी स्थिति बेहतर है। एक सशक्त ई-सेवा सुपुर्दगी प्रणाली का विकास करने के लिए सजग प्रयास किए गए हैं जिसमें ई-सक्षमकृत अभिनव उपायों के माध्यम से गतिशील आईपी ज्ञान का सार्वजनिक प्रचार-प्रसार शामिल है।

विजन विवरण

वह भारत जिसमें सभी के लाभ के लिए बौद्धिक संपदा के माध्यम से रचनात्मकता तथा अभिनवीकरण उत्प्रेरित होते हैं; ऐसा भारत जिसमें बौद्धिक संपदा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, परंपरागत ज्ञान तथा जैव विविधता संसाधनों में उन्नति को प्रोत्साहित करती है; एक ऐसा भारत जहां विकास का मुख्य वाहक ज्ञान है तथा अर्जित ज्ञान, साझा ज्ञान में अंतरित होता है।

मिशन विवरण

भारत में एक गतिशील, प्रोत्साहक तथा संतुलित बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को प्रोत्साहित करना ताकि;

- रचनात्मकता एवं अभिनवीकरण के पोषण के माध्यम से उद्यमिता प्रोत्साहित हो तथा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में बढ़ोतरी हो; और
- महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय महत्व के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ चिकित्सा व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा तथा पर्यावरणीय संरक्षण तक पहुंच को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

उद्देश्य

इस नीति में सात उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जिनका अभिज्ञात नोडल मंत्रालय/ विभाग द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के साथ उल्लेख किया गया है। कार्यान्वयन अथवा नोडल मंत्रालय/ विभाग इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी संबंधित अन्य मंत्रालयों/ विभागों सहित संबंधित साझेदारों के साथ समन्वय करेगा।

उद्देश्य 1

आईपीआर जागरूकता – प्रसार (आउटरीच) तथा संवर्धन

समाज के सभी वर्गों में आईपीआर के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लाभों के बारे में जन-जागरूकता उत्पन्न करना

21वीं सदी ज्ञान युग की सदी है तथा यह ज्ञान संबंधी अर्थव्यवस्था – वह अर्थव्यवस्था जो अपनी वृद्धि तथा विकास के लिए ज्ञान का सृजन, प्रसार एवं उपयोग करती है, द्वारा वाहित है। परंपरागत रूप से, ज्ञान का मौद्रीकरण भारत में मानक नहीं रहा है। हालांकि, यह मानक प्रशंसनीय तथा सर्वहितैषी है, तथापि यह उत्साहपूर्वक संरक्षित आईपीआर वैश्विक व्यवस्था में सटीक नहीं है। इसलिए ज्ञान के आईपी परिसंपत्तियों में अंतरण के महत्व का प्रचार-प्रसार किए जाने की जरूरत है। इसमें बड़े परिवर्तन की जरूरत है कि कैसे ज्ञान को देखा जाता है और इसके महत्व को समझा जाता है- जो यह है इसके लिए नहीं, बल्कि यह क्या बन सकता है उसके लिए। अनेक आईपी धारक आईपी अधिकारों के लाभ

अथवा आईपी परिसंपत्तियों के सृजन की उनकी क्षमता अथवा उनके अपने विचारों के मूल्य के बारे में अनभिज्ञ हैं। वे प्रायः रक्षणीय आईपी अधिकारों के सृजन की जटिल प्रक्रिया द्वारा हतोत्साहित हो जाते हैं। इसके विपरीत, वे अन्यो के आईपी अधिकारों के महत्व तथा उनका सम्मान करने की जरूरत के बारे में अनभिज्ञ हो सकते हैं। इस नीति में आउटरीच तथा संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों पहलुओं पर कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है।

संवर्धन संबंधी एक राष्ट्राव्यापी कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए जिसका उद्देश्य आईपीआर के लाभों तथा अधिकारधारकों और जनता के लिए उनके महत्व के बारे में जागरूकता में सुधार लाना हो। ऐसे कार्यक्रम से एक ऐसे वातावरण का निर्माण होगा जिसमें

रचनात्मकता तथा अभिनवीकरण को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, उद्योग तथा शिक्षा क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाए जिसके परिणामस्वरूप संरक्षणीय आईपी का उत्पादन हो जिसका व्यवसायीकरण किया जा सकता हो।

यह भी जरूरी है कि कम-दृश्य मान आईपी सृजकों तथा धारकों विशेषकर ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों, तक पहुंचा जाए। हमारे भौगोलिक संकेत, परंपरागत ज्ञान, आनुवांशिक संसाधन, परंपरागत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां और लोक कहावत के संदर्भ में भारत की समृद्ध धरोहर के संबंध में जागरूकता का प्रसार करने पर जोर दिया जाएगा।

व्यक्ति विशेष तथा समुदायों के लिए तात्कालिक तर्काधार तथा अभिनवकर्ता होने के स्वाभिमान को कारगर ढंग से जनता के सामने लाया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का आह्वान, एक सर्वव्यापी स्लोगन होगा:

**“Creative India; Innovative India:
रचनात्मक भारत; अभिनव भारत”**

इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का नीचे उल्लेख किया गया है:-

- 1.1 ‘रचनात्मक भारत; अभिनव भारत’ के राष्ट्रीय स्लोगन को अपनाता तथा अन्य राष्ट्रीय अभियानों जैसे कि ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटीज’ तथा भविष्य के अन्य अभियानों के साथ जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा सोशल मीडिया पर एक अभियान आरंभ करना।
- 1.2 नीचे दिए तरीकों से सभी साझेदारों तक आईपी के महत्व तथा इसके लाभों को पहुंचाकर भारत की आईपी शक्तियों के संवर्धन हेतु एक व्यवस्थित अभियान का शुभारंभ:
 - 1.2.1 उद्योगों, एमएसएमई, स्टार्ट-अप, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों, आविष्कारकों एवं रचनाकारों, उद्यमियों आदि

- 1.2.2 की जरूरत के अनुसार कार्यक्रम बनाना; विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कम दृश्यमान तथा मौन आईपी सृजकों एवं धारकों तक उनकी जरूरतों तथा रुचियों के अनुकूल बनाए गए अभियानों के माध्यम से पहुंचना। इनमें छोटे व्यापार, किसान/पौधा किस्म प्रयोक्ता, परंपरागत ज्ञानधारक, परंपरागत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां तथा लोक साहित्य तथा डिजाइनर तथा कारीगर शामिल होंगे;
- 1.2.3 संबंधित क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन हेतु इन अभियानों में आईपीआर के सफल इस्तेमाल संबंधी अध्ययनों को शामिल किया जाना;
- 1.2.4 सक्षमता बढ़ाने के लिए उच्च गुणता तथा कम लागत के अभिनवीकरण को विशेषकर भारतीय क्षमता के रूप में प्रोत्साहित करना;
- 1.2.5 भारत में आईपी के महत्व संबंधी जागरूकता के प्रसार के लिए सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को ‘एम्बेस्डरों’ के रूप में शामिल किया जाना;
- 1.2.6 इसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/ सोशल मीडिया में श्रुत्य/ दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करना;
- 1.2.7 सचल प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना (अर्थात् सड़क प्रदर्शनियों सहित देश-व्यापी थीम वाली एक गाड़ी) जो देश के सभी भू-भागों से गुजर सके;
- 1.2.8 जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए अनेक भाषाओं तथा चित्र रूपों में आईपी संवर्धन संबंधी सामग्री तैयार करना;
- 1.2.9 अन्य देशों में बेहतर परंपराओं तथा सफल कहानियों का अध्ययन करना तथा उसके आधार पर जनसम्पर्क कार्यक्रम आयोजित करना।
- 1.3 निम्नलिखित के माध्यम से विशेषकर निजी तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार की उद्योग तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम तैयार किया जाना:

- 1.3.1 प्रकाशन से भी पूर्व अपने आविष्कारों को संरक्षित करने की जरूरत के बारे में वैज्ञानिकों/ अनुसंधानकर्ताओं को जानकारी देना;
- 1.3.2 आईपी सृजन प्रक्रिया तथा इससे प्राप्त महत्व पर प्रकाश डालने वाले अभियानों के लिए सरकारी वित्त-पोषित अनुसंधान संगठनों तथा निजी क्षेत्र का उपयोग किया जाना;
- 1.3.3 अपने कर्मचारियों के लिए आईपी कार्यक्रम का विस्तार करने तथा इसे अपनाते और आम जनता के लिए उन्हें प्रख्यापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अन्य बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाना;
- 1.3.4 एमएसएमई के लिए सामग्री तैयार किया जाना जिसमें आईपी का विकास करने तथा इसका संरक्षण करने के लिए उनके लिए विशेष सहायता तंत्र पर प्रकाश डाला गया हो।
- 1.4 निम्नलिखित के द्वारा आईपी के महत्व पर जोर देने के लिए सुप्रचारित कार्यक्रम तथा सतत कार्यक्रम बनाया जाना:
- 1.4.1 उद्योग निकायों, बड़े निगमों तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के साथ सहभागिता करना तथा ऐसे कार्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षा और अभिनवीकरण, रचनात्मकता तथा आईपी म्यूजियमों की स्थापना पर विचार करना;
- 1.4.2 राज्य सरकारों की मदद से विशेषकर बड़े औद्योगिक, अभिनव तथा विश्वविद्यालय समूहों में, अभिनवीकरण तथा आई पी डे, की घोषणा करना और विभिन्न, शहरों तथा संस्थाओं में 'विश्व आई पी डे' मनाना;
- 1.4.3 आईपी अभिनवकारों तथा रचनाकारों को सम्मानित करने के लिए भारत के 'हॉल ऑफ फेम' की स्थापना करना;
- 1.4.4 विशिष्ट क्षेत्रों में आईपी सृजन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए इनामों तथा पुरस्कारों की व्यवस्था करना।
- 1.5 निम्नलिखित के लिए समुचित पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना:
- 1.5.1 आईपी अधिकारों के महत्व पर जोर देने के लिए सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाएं;
- 1.5.2 प्रयोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए ऑनलाइन तथा दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम;
- 1.5.3 समुचित स्तर पर स्कूल पाठ्यक्रम में आईपीआर को शामिल करना।
- 1.6 आई पी से संबद्ध विषयों के बारे में मीडिया को संवेदनशील बनाने के लिए उनके साथ सम्पर्क करना।

उद्देश्य 2

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) का सृजन

आईपीआर सृजन को उत्प्रेरित करना

किसी देश में आईपी सृजन की वर्तमान स्थिति तथा क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए आईपी फाइलिंग तथा पंजीकरण/ अनुदान सम्बंधी प्रोफाइल, संबंधित मानदंडों में से एक है, यद्यपि यह एकमात्र नहीं है। भारत में, पिछले कुछ वर्षों में पेटेंट फाइलिंग की संख्या बढ़ी है, परंतु भारतीयों के द्वारा फाइलिंग का प्रतिशत तुलनात्मक ढंग से कम रहा है। व्यापार चिह्न के मामले में, भारत विश्व के पांच शीर्ष फाइलिंग में है, इसमें भारतीयों द्वारा अधिकांश फाइलिंग की

गई है। डिजाइनरों, कारीगरों तथा कलाकारों के आधिक्य को देखते हुए, दायर किए गए डिजाइन आवेदनों की संख्या, भारत की क्षमता से कम है। भारत में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय प्रतिभा का एक विशाल प्रतिभा पूल है जो अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, उद्यमों, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों में फैला हुआ है। इस उर्वर ज्ञान संसाधन का दोहन करने तथा आईपी परिसम्पत्तियों के सृजन को उत्प्रेरित करने की जरूरत है।

जीआई भारत के लिए शक्ति तथा आशावाद का एक क्षेत्र है, जहां पर इसने विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में, अनेक हस्तकृत तथा विनिर्मित उत्पादों को संरक्षण प्रदान किया है। कॉपीराइट आधारित क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है तथा इसकी भावी क्षमता असीम है। पौधा किस्मों तथा किसानों के अधिकारों के क्षेत्र में, फाइलिंग तथा पंजीकरण की संख्या बहुत उत्साहवर्धक है। परंपरागत ज्ञान, जो कि भारत के लिए अद्वितीय वरदान है, के विकास, प्रोत्साहन तथा इस्तेमाल के लिए बहुत अधिक अनदोही क्षमता संवर्धन हेतु विद्यमान है। उक्त ज्ञानधारकों के प्रभावी सहयोग से पारम्परिक ज्ञान के संवर्धन हेतु कार्यकलाप किए जाने अपेक्षित हैं।

सभी क्षेत्रों के एक व्यापक आधारभूत सर्वेक्षण अथवा आईपी लेखा परीक्षा से विशिष्ट क्षेत्रों में क्षमता का आंकलन तथा मूल्यांकन हो सकेगा तथा इस विशाल क्षमता का दोहन करने तथा नयी प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों के विकास में सहायता के लिए लक्षित कार्यक्रम बनाए तथा कार्यान्वित किए जा सकेंगे। इसमें अन्य उपायों के साथ-साथ आईपीआर सुविधा केंद्रों तथा इक्युबेटरों को सुदृढ़ बनाना तथा उनका विस्तार करना शामिल होगा। राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधानकर्ताओं तथा अभिनवकारों की सुविधा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

कार्पोरेट क्षेत्र को भी आईपीआर के सृजन तथा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आईपीआर को शैक्षिक संस्थाओं, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों, विधि एवं तकनीकी संस्थाओं में, शैक्षिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में शुरू करना भी वांछनीय है।

ऐसे तंत्रों को विकसित करने की जरूरत है जिनसे आईपीआर व्यवस्था के लाभ सभी आविष्कारकों खास करके एमएसएमई, स्टार्टअप्स तथा जमीन से जुड़े अभिनवकारों तक पहुंच सकें। उक्त लक्षित प्रयोक्ताओं द्वारा फाइलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। इनमें आईपी सृजन से जुड़े कर संबंधी लाभों तथा स्वदेशी आईपीआर फाइलिंग की सुविधा संबंधी स्कीमों, आईपीआर सृजन से इसके वाणिज्यीकरण तक समग्र मूल्य शृंखला को शामिल किया जा सकता है।

परंपरागत ज्ञान डिजीटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) के क्षेत्र का भी विस्तार किया जाना चाहिए, तथा भावी अनुसंधान एवं विकास के लिए इसके इस्तेमाल की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले उपाय निम्नलिखित हैं :-

- 2.1 रचनात्मकता तथा अभिनवीकरण के महत्व का प्रसार करने और परिणामी लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए “रचनात्मक भारत अभिनव भारत अभियान” का उपयोग करना तथा एक ऐसी सोच एवं संस्कृति विकसित करना जो आईपी के माध्यम से ज्ञान सृजन तथा इसके अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करती हो।
- 2.2 सक्षमता तथा संभाव्यता के क्षेत्रों का आकलन करने, आविष्कारकों तथा रचनाकारों के लक्षित समूहों की प्राथमिकता तय करने, उनकी जरूरतों का समाधान करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों का विकास करने, आईपी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए उनको सक्षम बनाने हेतु संसाधन मुहैया कराने तथा उनका सामाजिक कल्याण के लिए इस्तेमाल करने के लिए साझेदारों के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में एक व्यापक लेखा-परीक्षा अथवा आधारभूत सर्वेक्षण करना।
- 2.3 अर्थव्यवस्था, रोजगार, निर्यात तथा प्रौद्योगिकी स्थानांतरण से संबंधित विभिन्न उद्योगों में आईपी कान्टेंट के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन करना।
- 2.4 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी संस्थाओं तथा अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन तथा सुविधा प्रदान करना ताकि उनके आईपीआर संबंधी परिणाम में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
- 2.5 आईपीआर सृजन को अनुसंधान वित्त-पोषण एवं कैरियर विकास के साथ जोड़ते हुए

- इसके लिए सरकारी वित्त-पोषित अकादमिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करना।
- 2.6 संगठनों तथा अनुसंधानकर्ताओं और प्रवर्तकों के बीच रायल्टी के बंटवारे के लिए एकसमान दिशा-निर्देश अपनाकर, सरकारी वित्त-पोषित अकादमिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करना।
- 2.7 सरकारी वित्त-पोषित अनुसंधान एवं विकास निकायों तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं के लिए एक मुख्य कार्यनिष्पादन मेट्रिक के रूप में आईपी सृजन को शामिल करना तथा उत्तरोत्तर ऐसे मूल्यांकन को टीयर-1 की संस्थाओं से टीयर-2 वाली संस्थाओं में विस्तारित करना।
- 2.8 राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्रों, उदाहरण के लिए ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा सेवा एवं कृषि और विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी, डाटा विश्लेषण, नैनो प्रौद्योगिकी, नई सामग्रियां तथा आईसीटी के बारे में अनुसंधानकर्ताओं तथा अभिनवकारों का मार्गदर्शन करना।
- 2.9 उपेक्षित बीमारियों से संबंधित किफायती औषधियों का विकास करने के लिए सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा उद्योग को प्रोत्साहित करना।
- 2.10 बीमारियों से रोकथाम, निदान तथा उपचार के लिए, विशेषकर, उन बीमारियों जो जीवन के लिए खतरनाक हैं और उन बीमारियों जो भारत में अधिक होती हैं, के वास्ते नई खोजों के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) सहित ओपन स्रोत आधारित अनुसंधान जैसे कि ओपन स्रोत औषध खोज अनुसंधान एवं विकास (ओएसडीडी) को प्रोत्साहित करना।
- 2.11 विशेषकर औद्योगिक तथा अभिनवीकरण विश्वविद्यालय कलस्टर्स में आईपी सुविधा केंद्रों की नोडल बिंदुओं के रूप में स्थापना तथा उनका सुदृढीकरण करना।
- 2.12 संयुक्त रूप से अभिज्ञात क्षेत्रों में विचारों के आदान-प्रदान तथा आईपीआर-वाहित अनुसंधान एवं अभिनवीकरण हेतु उद्योग-एकेडेमिया इंटरफेस की व्यवस्था करना।
- 2.13 भारत में आईपीआर के सृजन, संरक्षण तथा इस्तेमाल के लिए अनुसंधान एवं विकास करने वाले, भारतीय तथा विदेशी दोनों, बड़े निगमों को उत्प्रेरित करना।
- 2.14 रचनाकारों के लिए कॉपीराइट के महत्व, उनके आर्थिक तथा नैतिक अधिकारों के महत्व के बारे में और अधिक जागरूकता लाना।
- 2.15 एमएसएमई, स्टार्टअप्स तथा आधारभूत अभिनवकर्ताओं के लिए सहायता प्रणालियों की शुरूआत करना ताकि घरेलू आईपीआर फाइलिंग्स को सुविधाजनक बनाने वाली स्कीमों सहित आईपीआर सृजन से वाणिज्यीकरण तक समग्र मूल्य श्रृंखला हेतु आई पी सृजन से सम्बद्ध लेन-देन संबंधी लागतों को कम किया जा सके।
- 2.16 निम्नलिखित उपायों सहित अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहनों पर विचार करना:
- 2.16.1 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर लाभ संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के माध्यम से विभिन्न कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध कर लाभों के द्वारा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना;
- 2.16.2 सरकारी वित्त-पोषित अनुसंधान से सृजित आईपीआर पर आधारित उत्पादों की बिक्री और निर्यात के लिए सीमित अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करना;
- 2.16.3 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और गिरवी रखने योग्य परिसम्पत्तियों के रूप में आई पी

- आर आधारित वाणिज्यीकरण में तर्कसंगत असफलताओं संबंधी जोखिम को कवर करने के लिए एक प्रभावी एवं सरल ऋण गारंटी योजना तैयार करने पर विचार करना।
- 2.17 मुक्त अभिनवीकरण की संस्कृति को संपुष्ट करने के उद्देश्य से निगमित सामाजिक जवाबदेही के भाग के तौर पर सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को निधियां उपलब्ध कराने को प्रोत्साहित करना।
- 2.18 हरित प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा दक्ष उपकरणों के विनिर्माण में आईपीआर के सृजन के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।
- 2.19 ट्रेडिशनल नोलेज डिजीटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) के कार्यक्षेत्र में आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध सहित अन्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए।
- 2.20 सार्वजनिक अनुसंधान संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास के लिए उनकी टीकेडीएल तक पहुंच को मंजूरी दी जानी चाहिए, जबकि निजी क्षेत्र के द्वारा आरएंडडी हेतु टीकेडीएल के उपयोग की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते किसी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं।
- 2.21 मौखिक पारंपरिक ज्ञान के प्रलेखन की व्यवस्था करना बशर्ते उक्त ज्ञान (आयुष) की सम्पूर्णता बनी रहे तथा समुदायों के जीवन-यापन के पारंपरिक तरीकों से समझौता न किया जाए।
- 2.22 आईपीआर को शैक्षणिक संस्थाओं विशेष रूप से विश्वविद्यालयों, विधि और तकनीकी संस्थाओं में शैक्षिक पाठ्यक्रम के एक भाग के तौर पर शुरू करना।
- 2.23 विश्व स्तरीय बाजारों में भारतीयों और भारतीय कंपनियों के द्वारा आईपीआर के सृजन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों और संधियों (उदाहरणतः पीसीटी, मैडरिड, हेग) के संबंध में जागरूकता बढ़ाना।
- 2.24 आईपी के मूल्य संवर्धन के लिए सभी स्तरों पर विद्यार्थियों के बीच आईपी सृजन और उपयोगिता को प्रोत्साहित करना, जागरूकता कार्यक्रम और शिक्षा संबंधी सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- 2.25 स्थायी कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आईपी के अनुप्रयोग के जरिए कृषि क्षेत्र और मत्स्यपालन में अभिनवीकरण को बढ़ावा देना।
- 2.26 सहायक संस्थानों के जरिए भौगोलिक संकेतों (जी आई) के पंजीकरण को बढ़ावा देना; स्वीकार्य गुणवत्ता मानकों को परिभाषित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जीआई सृजकों की सहायता करना तथा बेहतर वाणिज्यिक क्षमता उपलब्ध कराना।
- 2.27 डिजाइन संबंधी कानून के तहत अभिनवीकरण संरक्षण के पहलुओं की पहचान करके, उनको बढ़ावा देके और उनके डिजाइनों का तथा इनसे प्राप्त लाभ का उपयोग करके डिजाइनरों को शिक्षित करके आईपी अधिकारों से संबंधित डिजाइन के सृजन को बढ़ावा देना; एनआईडी, एनआईएफटी और अन्य संस्थाओं को उक्त अभियान में शामिल करना।
- 2.28 भारत के लिए साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रौद्योगिकियों सहित आईसीटी प्रौद्योगिकियों के लिए आईपीआर सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- 2.29 पेटेंट आवेदनों की घरेलू स्तर पर अधिक फाइलिंग के लिए कदम उठाना।
- 2.30 भारत की समृद्ध पारंपरिक ज्ञान सम्पदा के धारकों के प्रभावी सहयोग से इसे प्रोत्साहित करना। उक्त धारकों द्वारा हमारी सभ्यता के प्रारंभ से पोषित ज्ञान प्रणालियों के और विकास के लिए उन्हें आवश्यक सहायता एवं प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी।

उद्देश्य 3 विधि एवं विधायी ढांचा

आई पी अधिकार स्वामियों के हितों और व्यापक सार्वजनिक हितों के बीच सामंजस्य करने हेतु सुदृढ़ एवं प्रभावी आईपीआर की व्यवस्था किया जाना

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि एक मजबूत और संतुलित कानूनी ढांचा, अभिनवीकरण के सतत प्रवाह को प्रोत्साहित करता है और यह एक अस्थिर संज्ञान अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने हेतु आवश्यकताओं में से एक है। भारत इस बात को मानता है कि आईपी अधिकारों का प्रभावी संरक्षण, देश के लोगों की अभिनव और रचनात्मक क्षमताओं का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए आवश्यक है। भारत की आईपी कानूनों संबंधी एक लंबी कहानी है जिन्हें राष्ट्रीय आवश्यकताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। मौजूदा कानूनों को टीआरआईपीएस करार के बाद या तो लागू किया गया अथवा संशोधित किया गया था और ये पूर्ण रूप से उसके अनुरूप विभिन्न न्यायिक निर्णयों के साथ-साथ ये कानून, आईपीआर के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एक स्थायी और प्रभावपूर्ण कानूनी ढांचा उपलब्ध कराते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई संधियों और टीआरआईपीएस करार में उपलब्ध विधायी लचीलेपन का उपयोग जारी रखेगा, चाहे ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों की चर्चाओं में यह सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखेगा। भारत टीआरआईपीएस करार के संबंध में दोहा घोषणा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए वचनबद्ध रहेगा। भारत चिकित्सा संबंधी परंपरागत ज्ञान के संबंध में समृद्ध है जो हमारे देश में विभिन्न रूपों में विद्यमान है। इनमें आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिगपा और होम्योपैथी जैसी सुविकसित पद्धतियों का अत्यधिक आर्थिक महत्व है। मानव जाति के फायदे के लिए परम्परागत ज्ञान के बहुआयामी विकास हेतु वातावरण के लिए मौखिक अथवा कोड रूप में उपलब्ध उक्त ज्ञान को हर प्रकार के दुरुपयोग से सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है।

चूंकि परिवर्तनशील और बहुआयामी ज्ञान क्षेत्र में मौजूदा कानूनों की पहुंच का अंदाजा लगाना कठिन है

इसलिए समय-समय पर अपेक्षित विधायी फेरबदलों को लागू करना आवश्यक हो जाता है। इस परियोजनार्थ, राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पूर्ति हेतु इन कानूनों को अद्यतन किए जाने के लिए साझेदारों के साथ परामर्श किए जाएंगे। आईपीआर कानूनों को शासित करने और लागू करने में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए एक विधायी ढांचे का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित उपाय निम्नानुसार हैं;

- 3.1 मौजूदा आईपी कानूनों को अद्यतन करने और इनमें सुधार करने के लिए अथवा विसंगति और अनिर्ंतरता, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए यथा आवश्यकता साझेदारों के साथ परामर्श करके इनकी समीक्षा करना।
- 3.2 अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों की चर्चा में साझेदारों के साथ परामर्श से सक्रिय रूप से भाग लेना; ऐसी बहुस्तरीय संधियों, जो भारत के हित में हैं, तक पहुंच सुनिश्चित करना और ऐसी संधियों में हस्ताक्षरी बनना जिन्हें भारत द्वारा उल्लिखित संधियों संबंधी निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए वास्तव में पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया हो।
- 3.3 पारंपरिक ज्ञान, (टीके), आनुवंशिक संसाधनों (जीआर) और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति (टीसीई) के संरक्षण के लिए कानूनी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखना।
- 3.4 जीएचजी के एंथ्रोपोजेनिक उत्सर्जन को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यकलापों

- को कार्यान्वित करने संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु यूएनएफसीसीसी के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार स्वच्छ प्रौद्योगिकी और इससे संबंधित जानकारी के विकसित देशों से भारत में अंतरण को जारी रखना।
- 3.5 आईपी अधिकारों को शासित और लागू करने में स्पष्टता, सरलीकरण, पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रियाओं के लिए आईपी से संबंधित नियमों, दिशा-निर्देशों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों की समीक्षा करना और उन्हें अद्यतन करना।
- 3.6 टीके, जीआर और टीसीई के संरक्षण और अपेक्षित फेरबदल, यदि कोई हो, का प्रस्ताव करने के लिए मौजूदा कानूनों की उपयुक्तता का निर्धारण करने और तदनुसार इन्हें लागू करने के संबंध में गहन अध्ययन करना।
- 3.7 फिल्मों के गैर-कानूनी दोहराव के लिए दंडात्मक प्रावधानों हेतु भारतीय सिनेमेटोग्राफी अधिनियम, 1952 में उपयुक्त संशोधन किया जाना।
- 3.8 भावी नीतिपरक विकास के लिए अध्ययन और अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, (संबंधित सूची संकेतक मात्र है विस्तृत नहीं):
- 3.8.1 आईपी कानूनों में अस्पष्टता और अनिश्चितता यदि कोई हो, को दूर करने के लिए आईपी कानूनों और अन्य कानूनों के बीच अंतर संबंध पर विचार करना;
- 3.8.2 आईपी का प्रतियोगिता कानून और नीति के साथ परस्पर संबंध;
- 3.8.3 आईपीआर के शासन अथवा प्रवर्तन को प्रभावित करने वाले पेटेंट एवं जैव-विविधता जैसे प्राधिकरणों के लिए दिशा-निर्देश;
- 3.8.4 व्यापार संबंधी गुप्त तथ्यों की सुरक्षा।
- 3.9 एस ई पी से संबंधित प्रौद्योगिकी अंतरण, ज्ञान एवं लाइसेंसिंग मुद्दों पर निष्पक्ष एवं तर्कसंगत तरीके से विचार करना और इन मुद्दों के समाधान के लिए एक उपयुक्त कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना।

उद्देश्य 4

प्रशासन एवं प्रबंधन

सेवोन्मुख आईपीआर प्रशासन का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण

वे कार्यालय जो विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीओ) का प्रशासन देखते हैं, एक कुशल और संतुलित आईपीआर प्रणाली, कानूनों को लागू करने, आईपी अधिकारों को प्रदान अथवा पंजीकृत करने, प्रयोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं, अनुसंधान एवं विकास के प्रयोजनार्थ आईपीआर संबंधी सूचना के प्रसार एवं देश में अभिनवीकरण को बढ़ावा देने और सरकार, आईपी संबंधी सहायक संस्थानों तथा प्रयोक्ता समुदायों के बीच एक सेतु के रूप में आधार स्तम्भ हैं। चूंकि आईपीआर का महत्व बढ़ गया है और ये आर्थिक विकास में योगदान करते हैं, इसलिए आईपी प्रशासन और प्रबंधन के महत्व और इसकी भूमिका में भी वृद्धि हुई। आईपीआर अवसंरचना अंतर्राष्ट्रीय

स्तर पर वैश्विक, आर्थिक परिदृश्य में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता का एक प्रमुख घटक है। इससे आधुनिक आईपीओ के संगठन, स्वरूप और कार्यों पर प्रभाव पड़ता है।

अब आईपीओ के सामने कार्यभार में बढ़ोत्तरी एवं तकनीकी जटिलता के कारण अपने कार्यकलापों को और अधिक कुशल कारगर और लागत प्रभावी बनाने के साथ-साथ प्रयोक्ता समुदाय को मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से प्रयोक्ताओं के प्रति अनुकूलता को बढ़ाने की दोहरी जिम्मेवारी है। आईपीओ अवसंरचना में सुधार सहित विभिन्न आईपी कार्यालयों के आधुनिकीकरण के प्रयास जारी रखे जाएंगे। आईपीओ

में सेवोन्मुख कार्यक्षेत्र के लक्ष्य के लिए आईपीआर आवेदनों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और इसका अनुपालन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। निर्धारित कार्यभार का विश्लेषण किए जाने के बाद जनशक्ति में भी बढ़ोत्तरी किए जाने की आवश्यकता है।

हमारे कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के उद्देश्यों और इनमें निहित कार्यकलापों के संबंध में सभी स्तरों पर आईपीआर अधिकारियों को संवेदनशील बनाना; उनके निरंतर शिक्षण और प्रशिक्षण तथा उनके कार्य की नियमित लेखा-परीक्षा से एक सतत और सेवोन्मुख आईपीआर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। बदलते आईपी परिदृश्य में प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान, नागपुर (आरजीएनआईआईपीएम) को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। आईपी कार्यालयों और विभिन्न आरएंडडी संगठनों तथा विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए भी उपाए किए जाने चाहिए।

उच्चतर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 और इलेक्ट्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 का प्रशासन, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत लाया जा रहा है, जिससे विभिन्न आईपी कार्यालयों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो सकेगा, प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकेगा और प्रयोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। आईपी परिसंपत्तियों के संवर्धन, सृजन और वाणिज्यीकरण को सुगम बनाने के लिए डीआईपीपी के क्षेत्राधिकार में एक आईपीआर संवर्धन एवं प्रबंधन सैल (सीआईपीएएम) का गठन किया जाना चाहिए। अन्य देशों में आईपी कार्यालयों के साथ तकनीकी सहयोग के संवर्धन के लिए क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, डाटा बेस तक पहुंच, खोज एवं जांच में सर्वोत्तम पद्धतियां, आईसीटी का उपयोग और प्रयोक्तोन्मुखी सेवाएं जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय नीचे दिए गए हैं:

- 4.1 उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्रार कार्यालय सहित प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 का प्रशासन, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को अंतरित किया जा रहा है।
- 4.2 इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री कार्यालय (एसआईसीएलडीआर) सहित अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 का प्रशासन, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को अंतरित किया जा रहा है।
- 4.3 आईपी प्रयोक्तावओं में तीव्र वृद्धि और उनकी विविधता एवं सेवाओं, जवाबदेही में बढ़ोतरी और कार्यभार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आईपीओ का पुनर्गठन, उन्नयन और आधुनिकीकरण किया जाना।
- 4.4 संभावित कार्यभार, बैकलाग के तेजी से निपटान, विश्वस्तरीय सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकताओं और उत्पादकता मानदण्डों का विश्लेषण करने के बाद जनशक्ति में वृद्धि किया जाना।
- 4.5 कौशल और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने एवं बनाए रखने के लिए संगठन और संवर्ग संबंधी संरचना, भर्ती की प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण, कैरियर विकास, कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहनों का अध्ययन एवं समीक्षा करना।
- 4.6 आईपीओ की आवश्यकताओं का विस्तार और ई-फाइलिंग, ई-प्रोसेसिंग और अन्य ई-सेवाओं को गति प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए भौतिक एवं आईसीटी अवसंरचना का और अधिक आधुनिकीकरण किया जाना।
- 4.7 कार्मिक एवं वैज्ञानिकों को संवेदनशील बनाने

- के लिए विभिन्न आईपी कार्यालयों और सार्वजनिक आरएंडडी संस्थाओं के बीच परस्पर कार्रवाई को बढ़ावा देना।
- 4.8 विभिन्न आरएंडडी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, वित्त-पोषण एजेंसियों, उद्योग एवं वाणिज्य संघों के बीच आईपी सृजन, प्रबंधन और उपयोग में सुधार करने के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करने में सहयोग करना।
- 4.9 टीकेडीएल को पीसीटी न्यूनतम दस्तावेजीकरण के एक भाग के तौर पर शामिल करने के लिए प्रयास करना।
- 4.10 आईपीओ के बीच सक्रिय सहयोग स्थापित करना और कानूनों, विनियमों, दिशा-निर्देशों तथा बेहतर समन्वय के लिए एक साझा वेबपोर्टल सृजित करना।
- 4.11 अन्य देशों में आईपी कार्यालयों के साथ क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, डाटा बेस तक पहुंच, खोज एवं जांच में सर्वोत्तम पद्धतियों, आईसीटी का उपयोग और प्रयोक्ता अभिमुखी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- 4.12 संपर्क एवं ऐसा तंत्र विकसित करना कि आईपी प्रणाली के लाभ सभी निवेशकों, एमएसएमई, अनौपचारिक अभिनवकर्ताओं और परंपरागत ज्ञान-धारकों को मिल सकें।
- 4.13 आईपी परिसंपत्तियों के संवर्धन, सृजन और वाणिज्यीकरण को सुगम बनाने के लिए डीआईपीपी के क्षेत्राधिकार में एक आईपीआर संवर्धन एवं प्रबंधन सैल (सीआईपीएएम) का गठन करना।
- 4.14 भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पेटेंट आवेदनों की शीघ्र जांच की संभावनाओं पर विचार करना।
- 4.15 अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना और आईपी संबंधी कार्यालयों पर उपयुक्त रूप से ध्यान देने और आईपी संबंधी मामलों पर सलाह के संबंध में विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ समन्वय करना;
- 4.16 पेटेंट डिजाइन एवं व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय (सीजीपीडीटीएम) जो पेटेंटों, डिजाइनों, व्यापार चिह्न और जीआई को शासित करता है, में पिछले कुछ वर्षों में उन्नयन और आईसीटी के उपयोग में भारी फेरबदल किया गया है। इन परिवर्तनों को निम्न जैसे उपायों के जरिए और उन्नत किया जाएगा:
- 4.16.1 पंजीकरण प्रदान करने और प्रतिकूल मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा का निर्धारण करना और इसका पालन करना;
- 4.16.2 दस्तावेजों को फाइल करने और डोकेट करने, रिकार्डों के अनुरक्षण और इनके डिजीटलीकरण, कार्य प्रवाह और ट्रेकिंग प्रणालियों के दस्तावेजीकरण के संबंध में सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाना;
- 4.16.3 आईपी कार्यालयों को प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए एक सेवोन्मुख वातावरण तैयार करना;
- 4.16.4 डिजाइन कार्यालय के डिजीटलीकरण को तीव्र करने और ऑनलाइन सर्च और फाइलिंग में सक्षम बनाने के लिए कदम उठाना;
- 4.16.5 सुनिश्चित करना कि आईपी कार्यालय में सरकारी रिकार्ड आसानी से उपलब्ध हैं और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार से पहुंच में हों;
- 4.16.6 आईपी अधिकारों को दक्षतापूर्ण तरीके से प्रदान करने और इनके प्रबंधन के लिए आईपी प्रशासन में अपनायी जा रही प्रक्रियाओं की आवधिक लेखापरीक्षा करना;
- 4.16.7 आईएसओ प्रमाणन प्राप्ति करने के उद्देश्य से प्रचालन के सभी स्तरों पर गुणवत्ता मानकों को कार्यान्वित करना;
- 4.16.8 जैविक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए आविष्कार संबंधी पेटेंट

- प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों के सुगम कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त कार्यालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बीच प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करना;
- 4.16.9 आईपी कार्यालय के कर्मचारियों को (विशेष तौर से अनुसंधान और परीक्षण) प्रक्रियाओं में नई बातों, तात्विक नियमों और प्रौद्योगिकियों के संबंध में अद्यतन जानकारी देने के लिए उन्हें राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान, नागपुर (आरजीएनआईआईपीएम) में निरंतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;
- 4.16.10 व्यापार चिह्न रजिस्ट्रियों और पेटेंट कार्यालयों की विभिन्न शाखाओं में असमानताओं, यदि कोई हों, को दूर करना तथा अधिकारों के अनुरक्षण सहित आवेदनों की जांच और उन्हें प्रदान करने में मानकीकृत प्रक्रियाओं को अपनाना;
- 4.16.11 पेटेंट आवेदनों के लिए राष्ट्रीय आधार पर क्षेत्र-वार केंद्रीकृत वरीयता प्रक्रिया लागू करना;
- 4.16.12 सेंट्रेलाइज्ड एक्सेस फॉर सर्च एंड एग्जामिनेशन (सीएएसई) तथा वीआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विसेज (डीएस) को एकीकृत किए जाने पर विचार करना;
- 4.16.13 पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रकाशित मौजूदा दिशानिर्देशों की आवधिक रूप से समीक्षा करना तथा विधायी प्रावधानों को दर्शाने के लिए इनमें संशोधन करना;
- 4.16.14 हेल्प डेस्क, जागरूकता एवं प्रशिक्षण सामग्री, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट खोज प्रणालियों तथा आईपी संबंधी अन्या डाटा बेस तक सुगमता से पहुंच के रूप में मूल्य संवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराना;
- 4.16.15 उक्त सेक्टर के द्वारा फाइलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई और आधारभूत अभिनवकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन लागू करना;
- 4.16.16 पेटेंट और व्यापार चिह्न एजेंट संबंधी जांच नियमित अंतराल पर करना; प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और उन्हें क्षमता निर्माण गतिविधियों में सम्मिलित करना।
- 4.17 कॉपीराइट रजिस्ट्रार कार्यालय यह कार्यालय निम्नलिखित कार्य करेगा:
- 4.17.1 कार्यालय के स्थापन और अवसंरचना, संगठनात्मक ढांचे, ई-फाइलिंग सुविधा, ई-आवेदन, प्रोसेसिंग और पंजीकरण का अंतिम विवरण जारी करने के परिप्रेक्ष्य में कॉपीराइट कार्यालय के आधुनिकीकरण में शीघ्रता के उपाय करना;
- 4.17.2 कॉपीराइट कार्यालय में कॉपीराइट रिकार्डों का डिजिटलीकरण और आनलाइन सर्च सुविधा शुरू करना; आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध कराना और कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना;
- 4.17.3 अधिकार-धारकों के हित में रॉयल्टी के एकत्रण और संवितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कॉपीराइट सोसायटियों के प्रभावी प्रबंधन और प्रशासन के लिए तत्काल उपाय करना;
- 4.17.4 हेल्पाडेस्कर, जागरूकता एवं प्रशिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोक्ता अनुकूल सेवाएं उपलब्ध कराना;
- 4.17.5 रचनाकारों, उद्यमों और संस्थाओं को उनके रचनात्मक कार्य के लिए कॉपीराइट मंजूरी प्रदान करने संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- 4.18 पौध विभिन्नता एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (डीएसी) पौध विभिन्नता एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण संरक्षण के माध्यम से निम्नलिखित कार्य निष्पादित होंगे :-

- 4.18.1 पौधों की नई, मौजूदा और आवश्यकता के रूप से व्युत्पन्न किस्मों के पंजीकरण में वृद्धि होगी और इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकेगा;
- 4.18.2 बीजों का विकास और कृषकों के द्वारा इनका वाणिज्यीकरण सरल होगा;
- 4.18.3 प्राधिकरण और कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रबंधन केंद्रों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों तथा बीच बेहतर संपर्क स्थापित किया जा सकेगा;
- 4.18.4 प्रशिक्षण, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने के लिए अन्य आईपीओ के साथ समन्वय किया जा सकेगा;
- 4.18.5 जागरूकता उत्पन्न करने, प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा;
- 4.18.6 कार्यालय अवसंरचना का आधुनिकीकरण और आईसीटी का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- 4.19 सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्रार;
- 4.19.1 रजिस्ट्रार द्वारा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत फाइलिंग्स में कमी के कारणों का अध्ययन किया जाएगा और उपयुक्त उपचारात्मक उपाय सुझाए जाएंगे;
- 4.19.2 कार्यक्रम के संबंध में सीजीपीडीटीएम के अंतर्गत पेटेंट कार्यालय और डिजाइन विंग में संबंधित समूह के साथ समन्वय किया जा सकेगा।
- 4.20 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण:
- 4.20.1 सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देशों के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन और जैविक संसाधनों तथा उससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच और लाभ में हिस्सेदारी के लिए एनबीए, आईपीओ और आयुष जैसे अन्य संबद्ध मंत्रालयों/ विभागों के बीच एक परामर्श एवं समन्वय तंत्र की व्यवस्था की जाएगी;
- 4.20.2 एनबीए बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रदान करने और मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक लाभ हिस्सेदारी की त्वरित स्वीकृति संबंधी पद्धति को सरल बनाएगा और एनबीए तथा आवेदकों के बीच सार्थक संपर्क के लिए दक्ष और प्रयोक्ताओं के अनुकूल तंत्र की व्यवस्था करेगा।
- 4.21 पेटेंट, डिजाइन एवं व्यापार चिह्न महानियंत्रक के संगठन के उत्तरदायित्वों में प्रस्तावित परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिदेश को दर्शाने के लिए इसे बौद्धिक संपदा अधिकार महानियंत्रक के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।

उद्देश्य 5

आईपीआर का वाणिज्यीकरण

वाणिज्यीकरण के माध्यम से आईपीआर का महत्व बढ़ाना

बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्वामियों को महत्व और आर्थिक प्रतिफल, केवल इन अधिकारों के वाणिज्यीकरण से ही मिलते हैं। देश में मौजूदा बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के लिए संयुक्त प्रयास किया जाना आवश्यक उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि आईपीआर का वित्तीय महत्व सुनिश्चित किया जा सके। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेटर्स एवं एक्सलरेटर्स सहित मौजूदा तंत्र को बौद्धिक संपदा उन्मुखी सेवाओं के साथ सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

उद्यमियों के लिए वित्त-पोषण एक बड़ी समस्या है और इसलिए निवेशक और आईपी सृजकों को परस्पर सम्बद्ध किया जाना आवश्यक है। एक दूसरी समस्या है - आईपी का मूल्यन और इसके विपणन के लिए आईपीआर की संभाव्यता का आकलन।

सरकार के विभिन्न विभागों और निकायों जैसे बीआईआरएसी, एनआरडीसी और टीआईएफएसी द्वारा मौजूदा आईपी वित्त-पोषण पर विचार किया जाना और उसके समेकन तथा प्रयासों के दोहराव से बचते हुए सफल मॉडल को उच्चतर किए जाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अकादमियों और अन्य संस्थाओं को अपने अनुसंधान परिणामों के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें अपने आईपीआर के विकास और प्रवर्तन में सरकार द्वारा उचित सहायता दी जानी चाहिए।

कुछ बड़े संगठनों में अपनी प्रौद्योगिकी/ आईपीआर का वाणिज्यीकरण करने की इच्छा एवं क्षमता है, जबकि कुछ में नहीं है। इस प्रकार एक सुविधाजनक तंत्र स्थापित करना आवश्यक है जो ऐसी बाधाओं को विशेष तौर से एमएसएमई, अकादमिक संस्थाओं और अभिनवकर्ताओं के संदर्भ में, हल कर सके। इसे प्राप्त करने के प्रभावी तरीकों में से एक है- आईपी सुविधा केंद्रों के कार्याकलापों का उद्योगों विशेष तौर से औद्योगिक क्लस्टर्स के साथ समन्वय स्थापित

करना। इसमें लाइसेंस संबंधी व्यवस्थाओं से संबंधित संवेदनशीलता भी शामिल है।

आईपीआर के साझा डाटाबेस के रूप में कार्य करने के लिए एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म बनाने के प्रयत्न किए जाने आवश्यक हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म से निर्माताओं और अभिनवकर्ताओं को संभावित प्रयोक्ताओं, खरीददारों और वित्त-पोषण संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करने में मदद मिल सकती है। इससे व्हाइट स्पेस की पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकी का निर्धारण करने में तथा अनछुए क्षेत्रों में अभिनवीकरण कार्याकलापों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकेगी। अभिनवीकरण के लिए महत्वपूर्ण संभावना, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कि नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, हरित प्रौद्योगिकियों, दूरसंचार, नई सामग्रियों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों आदि में उपलब्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने अपेक्षित हैं:-

- 5.1 सीआईपीएएम निम्नलिखित कार्य भी करे:
 - 5.1.1 संभावित प्रयोक्ताओं, खरीददारों और वित्त-पोषण एजेंसियों को निर्माताओं और अभिनवकर्ताओं के साथ सम्बद्ध करने के लिए सुविधादाता के रूप में कार्य करके आईपीआर स्वामियों और आईपीआर के प्रयोक्ताओं के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करना;
 - 5.1.2 आईपीआर के आदान-प्रदान की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक अध्ययन करवाना;
 - 5.1.3 संवर्धनात्मक/ शैक्षिक उत्पाद और सेवाएं विकसित करने के लिए सूचना और विचारों के आदान-प्रदान हेतु विभिन्न संगठनों के बीच सम्पर्क स्थापित करना;
 - 5.1.4 निर्माताओं/ अभिनवकर्ताओं, बाजार विश्लेषकों, वित्त-पोषण एजेंसियों, आईपी

- मध्यवर्तियों के वैश्विक डेटाबेस सहित भारतीय आईपी डेटाबेस तक पहुंच को आसान बनाया जाना;
- 5.1.5 देश में और बाहर बौद्धिक संपदा के संवर्धन और उसका वाणिज्यीकरण करने वाली बेहतर प्रक्रियाओं अध्ययन/ कार्यान्वयन करना;
- 5.1.6 आईपीआर वाणिज्यीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की पहलों को बढ़ावा देना।
- 5.2 आईपीआर के लिए लाइसेंसिंग और प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा देना; आईपीआर के वाणिज्यीकरण को सुगम बनाने के लिए उचित संविदात्मक और लाइसेंसिंग दिशा-निर्देश सुझाना; आईपीआर आधारित उत्पादों और सेवाओं के सृजन के लिए पेटेंट पूलिंग और क्रॉस लाइसेंसिंग को बढ़ावा देना।
- 5.3 एमएसएमई, आविष्कारकों और अनौपचारिक क्षेत्रों के अभिनवकर्ताओं को सहायता देना और साथ ही उनके आईपीआर के वाणिज्यीकरण में मदद करने के लिए सिंगल विंडो सेवा सुविधा केंद्र स्थापित करना।
- 5.4 दूसरे देशों में भी आईपीआर के प्रापण और वाणिज्यीकरण के लिए स्टार्टअप, एमएसएमई तथा भारतीय आविष्कारकों को प्रोत्साहित करना।
- 5.5 मानक अनिवार्य पेटेंट्स स्टैंडर्ड एसेन्शियल पेटेंट्स (एसईपी) की न्यायपूर्ण, उचित और भेदभाव-रहित (एफआरएनडी) उपलब्धता पर विचार करना।
- 5.6 भारतीय आईपीआर आधारित उत्पादों विशेष तौर से जीआई और सेवाओं के विश्व-स्तरीय विपणन के लिए अवसरों की पहचान करना।
- 5.7 अनुसंधान और विकास संस्थानों, उद्योग, अकादमियों और वित्त-पोषण एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक आईपी सृजन और वाणिज्यीकरण प्रयासों को बढ़ावा देना;
- 5.8 निम्नलिखित के माध्यम से सस्ती दवाओं तथा अन्य चिकित्सा संबंधी साधनों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करना:
(क) सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच अन्तर-क्षेत्र भागीदारी को बढ़ावा देना;
(ख) नए लाइसेंसिंग मॉडल को बढ़ावा देना और (ग) नए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म विकसित करना।
- 5.9 सुरक्षा और दक्षता मानकों को बनाए रखते हुए दवाओं के विनिर्माण और बिक्री हेतु समयबद्ध अनुमोदन को सुनिश्चित करने वाली विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- 5.10 भारत में सक्रिय भेषज निहित तत्वों (एपीआई) के विनिर्माण को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहित करने सहित एपीआई के आयात पर निर्भरता को कम करने के प्रयास करना।
- 5.11 निम्नलिखित के द्वारा आईपीआर के वाणिज्यीकरण के वित्तीय पहलुओं में मदद करना:
5.11.1 उचित तरीकों और दिशा-निर्देशों को लागू करके बौद्धिक संपदा अधिकारों के अप्रत्यक्ष संपदा के रूप में मूल्य को सुगम बनाना; वैधानिक, प्रशासनिक और बाजार संबंधी सुगम रूप-रेखा का सृजन करके समानान्तर रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा उनके उपयोग की सुरक्षा सुनिश्चित करना;
5.11.2 निवेशकों/ वित्त-पोषण एजेंसियों और बौद्धिक संपदा स्वामियों/ प्रयोक्ताओं को परस्पर सम्बद्ध करने के लिए प्रस्तावित बौद्धिक संपदा आदान-प्रदान के माध्यम से आईपी संचालित उद्योगों और सेवाओं में निवेश को सुगम बनाना;

- 5.11.3 वित्तीय संस्थानों जैसे ग्रामीण बैंकों या आईपी के अनुकूल ऋण देने वाले सहकारी बैंकों के माध्यम से किसान, बुनकरों, कलाकारों, शिल्पियों आदि जैसे कम सशक्त आईपी समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- 5.11.4 बैंकों, वैचर कैपिटल फंड्स, एन्जल निधियों, क्राउड वित्त-पोषण तंत्रों सहित वित्तीय संस्थानों के साथ सम्पर्क स्थापित करके बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों के विकास और वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- 5.11.5 पेटेंटेशुदा प्रौद्योगिकियों की लाइसेंसिंग या अधिप्राप्ति के लिए विनिर्माण नीति के तहत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष का उपयोग करना;
- 5.11.6 सरकार द्वारा सभी प्रकार के आईपी वित्त-पोषण की जांच करना और उसके यथासंभव समेकन के उपाय सुझाना; आवश्यकतानुसार वित्त-पोषण को बढ़ाना और दोहराव से बचाव करना; आईपी और अभिनवीकरण संबंधी निधियों की दृश्यता को बढ़ाना ताकि उपयोग बढ़ाया जा सके; अनवरत वित्त-पोषण के लिए निष्पादन
- आधारित मूल्यांकन करना।
- 5.12 मुक्त मानकों के साथ मुक्त खुले संसाधन सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देना; पर्यावरण को संचालित करने वाले भारतीय मानकों के सृजन की संभावना पर विचार किया जाएगा।
- 5.13 निम्नलिखित के द्वारा बाजार संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना:
- 5.13.1 बाजार परीक्षण के माध्यम से प्रयोगों को बढ़ावा देने और मान्यता देने में एमएसएमई तथा अनुसंधान संस्थाओं की मदद करने हेतु तंत्र स्थापित करना;
- 5.13.2 व्यापार मेलों में भाग लेने, उद्योग मानक निकाय एवं अन्य मंचों जैसी बाजार गतिविधियों के लिए बीज संबंधी वित्त-पोषण की व्यवस्था करना;
- 5.13.3 इंटरनेट तथा मोबाइल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-कॉमर्स के वाणिज्यिक अवसरों के बारे में आईपीआर स्वामियों को मार्ग-निर्देश और सहायता प्रदान करना;
- 5.13.4 अपने आईपी अधिकारों से ब्रांड इक्विटी सृजन जैसे ट्रेड मार्क और जीआई, के लिए उद्यमों को प्रोत्साहन देना।

उद्देश्य 6 प्रवर्तन और न्याय-निर्णय

आईपीआर संबंधी उल्लंघनों से निपटने के लिए प्रवर्तन और न्याय-निर्णय तंत्र को मजबूत बनाना

आईपी अधिकार अपरिहार्य रूप से निजी अधिकार हैं। आईपी अधिकारों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेवारी, आईपीआर स्वामियों की है जो अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए वैधानिक उपायों हेतु अनुरोध कर सकते हैं। आईपी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रभावी तंत्र प्रदान करने के साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक अधिकार, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के अनुकूल हों और आईपी अधिकारों का दुरुपयोग और शोषण न हो। आम जनता में आईपीआर का सम्मान बढ़ाने और आईपी के निवेशकों और निर्माताओं को उनके

अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के उपायों के संबंध में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इसी समय, राज्य पुलिस बलों में आईपीआर प्रकोष्ठों को मजबूत करने सहित विभिन्न स्तरों पर प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण की भी आवश्यकता है।

जालसाजी और पायरेसी को रोकने के उपायों की भी पहचान एवं उन्हें कार्यान्वित करने की भी आवश्यकता है। इस संबंध में टीआरआईपीएस समझौते के अनुच्छेद 51 के फुटनोट में यथा संदर्भित “जाली व्यापार चिह्न वस्तुएं” और “पाइरेटेड कॉपीराइट सामग्री” की परिभाषाएं, मार्गदर्शी

सिद्धांतों के रूप में अपनाई जा सकती हैं।

न्यायिक अकादमियों में तथा जजों के अन्य मंचों पर नियमित आईपीआर कार्यशालाओं/ चर्चाओं से आईपीआर विवादों के प्रभावी न्याय निर्णयन में आसानी होगी। अन्य भागीदारों के लिए बहु-अनुशासनिक आईपी कोर्स/ मोड्यूल की भी आवश्यकता है।

विशेष वाणिज्यिक न्यायालयों के माध्यम से आईपीआर विवादों पर न्यायनिर्णयन, वांछित होगा। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं :-

6.1 निम्नलिखित के द्वारा आईपी के महत्व और आईपी संस्कृति के प्रति सम्मान के लिए जागरुकता उत्पन्न किया जाना:

6.1.1 नकली और पायरेटेड उत्पादों के दोषों के संबंध में आम जनता विशेष-रूप से युवाओं और छात्रों को जागरुक बनाना;

6.1.2 आईपी अधिकारों के प्रति सम्मान उत्पन्न करने और इस संबंध में सहयोगात्मक रणनीति बनाने तथा उपायों के बारे में ई-कॉमर्स सहित उद्योगों के सभी स्तरों से सम्पर्क बनाए रखना;

6.1.3 आईपी के सृजकों को अपने अधिकारों की सुरक्षा और उनके प्रवर्तन संबंधी उपायों के संबंध में जागरुक बनाना।

6.2 जैनेरिक दवाओं को अप्रामाणिक/ नकली मानने के प्रयासों के विरुद्ध कड़े कदम उठाना।

6.3 नकली ब्रांड, मिलावटी, तथा अप्रामाणिक दवाइयों के विनिर्माण और बिक्री पर नियंत्रण करने के लिए कड़े कदम उठाया जाना।

6.4 ऑफलाइन और ऑनलाइन पायरेसी को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों सहित कानूनी और प्रवर्तन तंत्र की व्यवस्था किया जाना और इस संबंध में आम जनता में जागरुकता उत्पन्न किया जाना।

6.5 आईपी अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में लघु प्रौद्योगिकी आधारित फर्मों की सहायता किया जाना, जैसे कि आईसीटी आधारित क्षेत्रों में आईपीआर के लिए उपयोग में आसान पोर्टल के माध्यम से सहायता करना।

6.6 लघु फर्मों के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आईपीआर की सुरक्षा के लिए सहायता बढ़ाई जाएगी जैसे इलेक्ट्रॉनिक और आईटी (एसआईपी-ईआईटी) में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट संबंधी सुरक्षा के लिए डीईआईटीवाई द्वारा सहायता।

6.7 अन्य देशों में टी.के., जी.आर. और टीसीई के दुर्विनियोजन की घटनाओं पर लगातार नजर रखना।

6.8 निम्नलिखित के द्वारा आईपी अधिकारों की और बेहतर सुरक्षा के लिए प्रवर्तन तंत्रों को मजबूत बनाया जाना:

6.8.1 विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना और इस संबंध में प्रवर्तन संबंधी उपायों को सुदृढ़ करने के संबंध में दिशा-निर्देश लागू करना; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी और बेहतर परंपराओं संबंधी समन्वय एवं आदान-प्रदान करना; विभिन्न क्षेत्रों में आईपी संबंधी उल्लंघनों की स्थिति का अध्ययन करना; प्रवर्तन प्राधिकरणों में न्यायिक कठिनाइयों पर विचार करना और डिजीटल पायरेसी को रोकने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की व्यवस्था करना;

6.8.2 आईपी संबंधी अपराधों को रोकने के लिए आईपी प्रकोष्ठों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से कार्रवाई करना;

6.8.3 प्रवर्तन एजेंसियों की श्रम शक्ति, अवसंरचना सुविधाओं और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढ़ाना तथा डिजीटल अपराधों के प्रसार को रोकने के लिए क्षमता सृजित करना;

- 6.8.4 प्रवर्तन एजेंसियों संबंधी अकादमियों में कर्मचारियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण सहित नियमित प्रशिक्षण देना;
- 6.8.5 आईपी अधिकारों के प्रवर्तन हेतु प्रौद्योगिकी आधारित उपायों को लागू किए जाने को प्रोत्साहित करना;
- 6.8.6 जालसाजी और पायरेसी संबंधी स्थिति और इसके कारणों तथा इससे निपटने के उपायों का आकलन करने लिए सभी हितधारकों के सहयोग से तथ्यों का पता लगाने हेतु अध्ययन करना;
- 6.8.7 भारतीय कार्यकलापों और उत्पादों की विदेशों में नकल संबंधी मामले पर संबंधित देशों के साथ कार्रवाई करना।
- 6.9 उचित उपाय करके लाइसेंसिंग की उन प्रक्रियाओं या शर्तों का निवारण करना जिनका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- 6.10 निम्नलिखित सहित विभिन्न उपाय करके आईपी विवादों के प्रभावी न्याय-निर्णयन को सुनिश्चित करना:
- 6.10.1 उचित स्तर पर स्थापित वाणिज्यिक न्यायालयों के माध्यम से आईपी विवादों को हल करना;
- 6.10.2 आईपी मामलों से संबंधित जजों के उपयोग के लिए कानूनों सहित आईपी मोड्यूल तैयार करना; न्यायिक अकादमियों में नियमित आईपी कार्यशालाएं/ औपचारिक चर्चाएं आयोजित करना;
- 6.10.3 मध्यस्थ और समाधान केंद्रों को सुदृढ़ करके आईपी मामलों को हल करने में एडीआर को बढ़ावा देना और आईपी क्षेत्र में एडीआर की क्षमता तथा कौशल को विकसित करना।

उद्देश्य 7 मानव पूंजी का विकास

आईपीआर के संबंध में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधन संबंधित संस्थानों, और क्षमताओं को सुदृढ़ करना और उनका विस्तार करना

आईपीआर परिदृश्य गतिशील है और बढ़ते वैश्वीकरण, नई प्रौद्योगिकियों, डिजिटल पर्यावरण, विकास संबंधी आवश्यकताओं और वैश्विक सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों के सन्दर्भ में तेजी से बदल रहा है। आईपीआर क्षेत्र में वैचारिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर-अनुशासनिक परिदृश्य से संबंधित अनुभवसिद्ध और प्रासंगिक आईपीआर क्षेत्रों के बारे में सतत रूप से नीतिगत अनुसंधान की भी आवश्यकता है। इस अनुसंधान से सरकारी और संगठनात्मक स्तरों पर नीतिगत प्रक्रिया, कानून, कार्यनीति विकास और अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में बेहतरी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। जबकि राष्ट्रीय महत्व के अधिकांश क्षेत्रों के लिए शीर्ष स्तर के संस्थान या निकाय मौजूद हैं,

तथापि, बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए ऐसी संस्था की स्थापना अभी की जानी है।

आर्थिक वृद्धि के लिए आईपीआर की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए, नीति और कानून, कार्य-योजना विकास, प्रशासन और प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में आईपीआर व्यवसायियों और विशेषज्ञों का पूल विकसित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, उद्योग, अकादमियों, विधिक प्रेक्टिशनरों, न्यायपालिका, आईपी प्रयोक्ताओं और सिविल सोसायटी में आईपीआर संबंधी विशेषज्ञता विकसित करने और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, नीतिगत विकास, अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिए बहु-अनुशासनिक मानव और सांस्थानिक क्षमता को बढ़ाना अपेक्षित है। विशेषज्ञों के ऐसे पूल से देश में आईपी परिसम्पत्तियों के उत्तरोत्तर

सृजन और विकास संबंधी प्रयोजनों में उनके उपयोग को आसान बनाया जा सकेगा।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदम निम्नानुसार हैं :-

- 7.1 उद्योग और व्यवसाय, अकादमियों, अनुसंधान व विकास संस्थानों, आईपी व्यवसायियों, आविष्कारकों और सिविल सोसायटी में आईपीआर प्रशासकों और प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से सम्पर्क बनाए रखने; जांचकर्ताओं के लिए विधिक प्रशिक्षण प्रदान करने आदि के लिए आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर को सशक्त बनाना।
- 7.2 गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अनुसंधान उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण क्षमता विकसित करने एवं पाठ्यक्रम तैयार करने तथा निष्पादन आधारित मानदण्ड के आधार पर उनके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए उच्च शिक्षण संबंधी शैक्षिक संस्थानों में आईपी पीठों (चेयर्स) को सुदृढ़ करना।
- 7.3 सभी प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कि न्यायिक अकादमियों, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुलिस और सीमा-शुल्क अकादमी, विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान, वन प्रशिक्षण संस्थान आदि में बहु-अनुशासनिक आईपी कोर्स/ मॉड्यूलों की शुरुआत करना।
- 7.4 सभी विधिक, तकनीकी, चिकित्सा और प्रबंधन शिक्षण संस्थानों, एनआईएफटी, एनआईडी, आयुष शिक्षण संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, कौशल विकास केन्द्रों और इसी तरह के अन्य संस्थानों में आईपीआर

को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाया जाना।

- 7.5 एनआईडी, एनआईएफटी, कृषि विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थानों तथा कौशल विकास केन्द्रों में विद्यमान आईपीआर प्रकोष्ठों और प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रबंधन इकाइयों को सुदृढ़ करना तथा नई इकाइयों का सृजन करना।
- 7.6 सरकारी विभागों, उच्च शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी संस्थानों में सांस्थानिक आईपी नीति/ कार्य नीति की व्यवस्था किए जाने को प्रोत्साहित करना।
- 7.7 स्कूलों, कालेजों और अन्य शैक्षिक संस्थानों तथा कौशल विकास केन्द्रों में आईपी शिक्षण की प्रगामी रूप से शुरुआत करना।
- 7.8 आईपी संबंधी विषयों के बारे में जागरूकता लाने और शिक्षण, प्रशिक्षण तथा कौशल निर्माण के लिए औद्योगिक संघों, आविष्कारकों और सृजक संघों तथा आईपी सहायता संस्थानों को सहायता देना।
- 7.9 सभी श्रेणी के प्रयोक्ताओं के लिए आईपी से संबंधित दूरस्थ अध्ययन और ऑनलाइन कोर्स विकसित करना; मुक्त विश्वविद्यालयों तथा कौशल विकास केन्द्रों में आईपी शिक्षण को सुदृढ़ करना।
- 7.10 डब्ल्यूआईपीओ, डब्ल्यूटीओ, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से आईपी शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना।
- 7.11 महिला सृजकों, अभिनवकर्ताओं, उद्यमियों, प्रैक्टिशनरों, अध्यापकों और प्रशिक्षकों में क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना और इस संबंध में सहायता प्रदान करना।

कार्यान्वयन

भारत में बौद्धिक संपदा का विनियमन, विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के क्षेत्राधिकार के अधीन कई कानूनों, नियमों और विनियमों से होता है। कई प्राधिकरण और कार्यालय इन कानूनों को नियंत्रित करते हैं। विधिक प्रावधानों को सुव्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि विवाद, अतिव्याप्ति या उनमें किसी तरह की असंगतता से बचा जा सके। दक्ष प्रशासन के हित में और प्रयोक्ताओं की संतुष्टि के लिए संबंधित प्राधिकरणों द्वारा एक-दूसरे के साथ समन्वय से इन कानूनों का संचालन किया जाना आवश्यक है। आईपी के विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे उठते हैं जो एक-दूसरे के प्रतिकूल होते हैं तथा उन्हें जनहित में सर्वसम्मति से हल किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय वार्ताओं में विभिन्न मंत्रालयों, प्राधिकरणों और भागीदारों के साथ परामर्श से एक साझा राष्ट्रीय स्थिति विकसित करने की आवश्यकता है।

वर्तमान आईपी नीति का लक्ष्य, आईपी को राष्ट्रीय विकास योजनाओं में एक नीतिगत तथा कार्यनीतिगत उपाय के रूप में एकीकृत करना है। इसमें, भारत में आईपी प्रणाली के एक समन्वित और एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है तथा आईपी से संबंधित कानूनी, प्रशासनिक, सांस्थानिक एवं प्रवर्तन संबंधी मामलों पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

इस प्रकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत में आईपीआर के कार्यान्वयन एवं भविष्य भावी विकास हेतु समन्वय, मार्ग-निर्देशन और निगरानी के लिए नोडल प्वाइंट होगा। कार्रवाई योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन की जिम्मेवारी, उन्हें सौंपे गए संबंधित कार्यों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/ विभागों की होगी। राज्य सरकारों सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संस्थानों तथा अन्य हितधारकों को भी कार्यान्वयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :
cipam-dipp@gov.in